R.N.I. No. 56386/92 डाक पंजीयन क्र. म.प्र. भोपाल सं. /316/2022/2024

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

उद्यमिता

ISSN : 0971-6211
वर्ष : 01 अंक : 01

फरवरी 2022
मूल्य 25/- मात्र

एक नई शुरुआत

स्वरोजगार ऋण योजना विशेषांक

सिडबी की स्टैंड अप इंडिया योजना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP

सेडमैप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73 वां गणतंत्र दिवस

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के राजधानी भोपाल स्थित मुख्यालय में 26 जनवरी 2022 को देश का 73 वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सचिव सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन **श्री पी. नरहरि** ने ध्वजारोहण किया। सेडमैप की कार्यकारी संचालक **श्रीमती अनुराधा सिंघई** की गरिमामयी उपस्थिति के बीच समस्त कर्मचारियों के साथ श्री पी. नरहरि के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। ध्वजारोहण समारोह के पश्चात श्रीमती अनुराधा सिंघई के द्वारा परिसर में उत्साह पूर्वक उपस्थित बच्चों को मिष्ठान्न का भी वितरण किया गया।

देश के 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेडमैप मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सेडमैप की कार्यकारी संचालक **श्रीमती अनुराधा सिंघई** सेडमैप परिवार के साथ

R.N.I. No. 56386/92 डाक पंजीयन क्र. म.प्र. भोपाल सं. /316/2022/2024

वर्ष : 01 अंक : 01

विवरणिका

फरवरी 2022

- अजा/अजजा/महिला उद्यमियों की स्वरोजगार स्थापना में सहायक सिडबी की **स्टैंड अप इंडिया योजना** 8-12
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम** 13-19

- कृषि अधोसंरचना कोष योजना में **प्रथम स्थान पर मध्यप्रदेश** 20
- पीएम स्वनिधि विकास योजना के क्रियान्वयन में **लक्ष्य से आगे मध्य प्रदेश** 21-23
- ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायियों की आजीविका का आधार **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना** 24-25
- **मध्यप्रदेश के युवाओं के स्वरोजगार स्थापना में सहयोगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना** 26-31

- मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अभिनव योजनाएं 32-33
- **मुद्रा योजना का कैसे उठाएं लाभ** 34-39
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में मददगार **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** 40-47
- मध्यप्रदेश की **एमएसएमई विकास नीति 2021** 48-60

स्थायी स्तंभ

- सेडमैप समाचार 61-66

प्रधान संपादक

अनुराधा सिंघई

कार्यकारी संचालक

संपादक एवं प्रकाशन प्रमुख

उमाशंकर दुबे

आकल्पन एवं अक्षर संयोजन

दिनेश कुमार मधुकर राव गावड़े

प्रकाशन सहायक

राधा शर्मा

वितरण सहायक

संतोष सिंह

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, सूचनाएं, विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार होते हैं तथा विभिन्न स्त्रोतों से लिये जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि हेतु उद्यमिता समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं हैं।

उद्यमिता समाचार पत्र सदस्यता शुल्क

अवधि	रूपये
एक वर्ष हेतु	250/-
दो वर्ष हेतु	495/-
तीन वर्ष हेतु	740/-
आजीवन सदस्यता	3300/-

नोट : पत्रिका के लिए मनी आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट भेजते समय कृपया पत्रिका का नाम, अपना पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई मेल आई डी अवश्य लिखें।

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmpindia.mp.gov.in

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और स्वरोजगार उसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। लोगों को स्वरोजगार स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका **उद्यमिता समाचार पत्र** का प्रकाशन किया जाता है। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में मार्गदर्शक जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, उनके लेखों, जानकारियों का उद्यमिता समाचार पत्र में सादर स्वागत है। उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां उपरोक्त पते पर प्रेषित की जा सकती हैं.

पत्रिका के आगामी विशेषांकों की सूची

मार्च 2022 अंक **महिला उद्यमी विशेषांक** के रूप में प्रकाशित किया जाएगा

आगामी अंक निम्न विषयों पर प्रकाशित किए जाएंगे

- पर्यटन उद्योग
- सूचना प्रौद्योगिकी
- चर्म उद्योग
- खादी एवं ग्रामोद्योग
- भवन निर्माण उद्योग
- ऑटोमोबाइल
- लौह एवं इस्पात उद्योग
- कृषि उद्योग
- नवकरणीय ऊर्जा उद्योग
- मत्स्योद्योग
- वस्त्रोद्योग
- ज्वैलरी उद्योग
- सेवा उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग

सूचना : उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार प्रकाशित करने से पूर्व काशन की अनुमति लेना आवश्यक है तथा ऐसे लेखों के अंत में पत्रिका से संबंधित अंक का वरण देते हुए उद्यमिता समाचार पत्र से साभार लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर उद्यमिता समाचार पत्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

1. उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और सही एवं प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए उद्यमिता समाचार पत्र सामान्यत: अपनी जरूरतों को ध्यान में रख कर **साग्रहपूर्वक** मंगवाए गए आलेखों को प्रमुखता देता है।
2. स्वरोजगार स्थापना के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी विशेषज्ञों से यह अपेक्षित है कि वे अपने मौलिक लेख ही प्रकाशनार्थ भेजें, तथा अपने लेख के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
3. प्रेषित लेखों में निम्नानुसार विषयों पर सामग्री अपेक्षित है :- **नियम-प्रक्रियाएं, नीतियां** : शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित ऐसी नियम-प्रक्रियाएं, योजनाएं एवं नीतियां जोकि उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापना में मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

   इंस्टीट्यूट प्रोफाइल : किसी ऐसे संस्थान के बारे में जानकारी जो कि विद्यमान एवं भावी उद्यमियों को उनके व्यवसाय की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के संबंध में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न हों।

   प्रोजेक्ट प्रोफाइल : किसी औद्योगिक/व्यावसायिक/सेवा इकाई की स्थापना से संबंधित ऐसी प्रोजेक्ट प्रोफाइल जोकि मानक प्रारूप में हो जिसका उपयोग उद्यमी वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने सहित अपनी इकाई के संचालन में कर सकें।

   बाजार सर्वेक्षण : किसी उत्पाद/क्षेत्र विशेष पर आधारित ऐसा अध्ययन जोकि उद्यमी को उस उत्पाद/क्षेत्र में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करा कर इकाई स्थापना के संबंध में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो सके।

   सफलता की कहानी : किसी व्यक्ति, संस्थान, उपक्रम की उपलब्धियों के ऐसे ब्यौरे जोकि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।
4. उद्यमिता समाचार पत्र में पूर्णत: स्वरोजगार एवं रोजगार सर्जक लेखों को ही प्रोत्साहित किया जाता है, अत: किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी, समीक्षा, आलोचनात्मक लेख नहीं भेजें।
5. हिंदी भाषा के आलेखों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा के लेखों के प्रकाशन पर भी विचार किया जा सकता है, अपितु ऐसे लेखों का आप अपनी ओर से ही अनुवाद करवा कर प्रेषित कर सकें तो प्रकाशन में सुविधा होगी।
6. आपके द्वारा भेजे गए लेखों के सुबोध होने के साथ ही भाषा शैली में शालीनता, शिष्टता व मर्यादा का ध्यान रखें।
7. इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, सफलता की कहानी आदि को प्रायोजन के आधार पर भी प्रकाशित करने पर विचार किया जा सकता है।
8. लेखकों को लेख के अंत में अपना पूरा नाम, पता, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल/फोन नंबर लिखना चाहिए।

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां निम्नानुसार पते पर प्रेषित की जा सकती है-

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा : उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),
16-ए, अरेराहिल्स, भोपाल- 462011
फोन : 0755 - 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख प्रेषित करने हेतु

घोषणा पत्र का प्रारूप

लेख का प्रस्तावित शीर्षक : .....

मूल लेखक का नाम : .....

सह लेखकों के नाम .....

- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने पत्रिका में लेखों के प्रकाशन से संबंधित नियम व शर्तों को पढ़ व समझ लिया है और उनसे सहमत हूं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के सभी लेखक सर्वसम्मति से एकमत के साथ लेख प्रेषित कर रहे हैं तथा लेखकों के मध्य किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख, लेखक/लेखकों का मूल कार्य है और लेख को पूर्व में कहीं और प्रकाशित नहीं किया गया है तथा कहीं और प्रकाशन के लिए विचाराधीन नहीं है।
- सभी लेखकों की ओर से लेख प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी (मूल लेखक की) होगी।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के साथ सूचीबद्ध सभी लेखकों ने काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेख को पढ़ा है, आंकड़ों की वैधता और इसकी व्याख्या को प्रमाणित किया है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए सभी सहमत हैं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख किसी अन्य प्रकाशित कार्य का कॉपी या साहित्यिक संस्करण नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि जब तक पत्रिका के संपादकों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मैं/हम किसी अन्य समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के लिए यह लेख प्रेषित नहीं करूंगा/करुंगी/करेंगे।
- मैं/हम समझते हैं कि गलत तथ्यों/सूचना/जानकारी/आंकड़े प्रस्तुत करने पर नियमों के अनुसार मेरे/हमारे खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- मैं/हम प्रकाशक/संपादन मंडल को प्रस्तुत लेख में एडिटिंग करने का पूर्ण अधिकार देता हूं/देती हूं/देते हैं, और एडिट की हुई रचना मुझे/हमें पूर्ण रूप से मान्य होगी।
- लेख के प्रकाशन से यदि किसी प्रकार के नियम, कानून या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन/या कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित विषयों के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगीं। उद्यमिता समाचार पत्र एवं उसका संपादन मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

मूल लेखक सहित सभी लेखकों के हस्ताक्षर
नाम, पते, ई-मेल व मोबाइल नंबर

स्थान ..... दिनांक .....

उद्यमिता समाचार पत्र

सदस्यता फॉर्म

मैं/हम उद्यमिता समाचार पत्र मासिक पत्रिका के एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष/या आजीवन सदस्य बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं और इसके लिए क्रमश: रुपए 250/–, 495/, 740/–, 3300/– की सदस्यता राशि बैंक ड्राफ्ट/मनी ऑर्डर द्वारा उद्यमिता समाचार पत्र के नाम से देय भेज रहा हूं/रही हूं/रहे हैं। हमारी सदस्यता माह ..... वर्ष ..... के अंक से प्रारंभ कर पत्रिका निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

ड्राफ्ट/मनी ऑर्डर सं. .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर

नाम/संस्था का नाम हिन्दी में : .....

....

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : .....

....

ग्राम (Village) ....

पोस्ट (Post) ....

तहसील (Tehsil) ....

जिला (District) ....

राज्य (State)..... .....

पिन (Pin) ....

मोबाइल (Mobile) ....

ई–मेल (E-mail) ....

हमारा पता

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा : उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),
16–ए, अरेराहिल्स, भोपाल– 462011
फोन : 0755 – 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार बढ़ाएगा आपका व्यापार

उद्यमिता समाचार पत्र विज्ञापन दर (01 जनवरी 2022 से प्रभावी)

टाईप/स्थान	साईज (से.मी.)	दर (रु.)	एक साल तीन अंकों की बुकिंग पर 15 % की छूट	चार से छः अंकों की बुकिंग पर 30 % की छूट	सात से 12 अंकों की बुकिंग पर 45 % की छूट
बैक कवर	23 X 17	1,50,000	1,27,500	1,05,000	82,500
इन साइड कवर	23X17	1, 20,000	1,02,000	84,000	66,000
फुल पेज	23 X17	50,000	42,500	35,000	27,500
हाफ पेज	11.5 X17	25,000	21,250	17,500	13,750
क्वार्टर पेज	11.5 X8.5 5.5 X 17	20,000	17,000	14,000	11,000
डबल स्प्रेड	23 X34	100000	85,000	70,000	55,000
सिंगल कॉलम	1 कॉलम X 23 से.मी.	16,000	13,600	11,200	8,800
डबल कॉलम	2 कॉलम X23	25,000	21,250	17,500	13,750
यलो पेज	1 कॉलम X 3 से.मी.	6,000	5,100	4200	3,300
प्रायोजन शुल्क	1 पेज	15,000	12,750	10,500	8,250

उद्यमं साहसं धैर्यम, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः।
षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देवो सहायका।। (विदुर नीति)

उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम - ये 6 गुण जिन व्यक्तियों के पास हैं उन्हीं की सहायता देवता भी करते हैं।

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) पिछले 33 वर्षों से उद्यमियों में इन छः गुणों को विकसित करने और संवारने के लिए निर्बाध रूप से काम कर रहा है। उद्यमिता समाचार पत्र उद्यमिता विकास केंद्र और उद्यमियों के कार्यों का दर्पण है जो अपने पाठकों को सफलता की कहानियों, उद्योग व्यवसाय से संबंधित समाचारों और उद्यमिता के क्षेत्र में नवीनतम जानकारियों एवं नवप्रवर्तनों से निरंतर अवगत कराता है। कुछ कारणों से उद्यमिता समाचार पत्र की निरंतरता में कुछ समय के लिए विराम लग गया था। लेकिन इस पत्रिका के लिए आपके असीम प्यार के लिए धन्यवाद कि अब पत्रिका का प्रकाशन पुनः प्रारंभ हो गया है, इतना ही नहीं अब यह पत्रिका एक नए अवतार में आप तक नवीनतम अपडेट और संपूर्ण उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र, स्टार्ट अप इन्क्यूबेशन समर्थन, नीतियां, सफलता की कहानियां, समाचार सहित अनेक उपयोगी जानकारियां पहुंचाने के लिए तैयार है। उद्यमियों को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब हम बढ़ी हुई पहुंच के साथ प्रिंट फॉर्म में वापस आ गए हैं साथ ही पत्रिका का डिजीटल फॉर्म में भी प्रकाशन कर रहे हैं, जिसके जरिए महज एक क्लिक में ही यह पत्रिका अब आपके हाथों में होगी।

उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा शुरू किए गए उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदि जैसी विभिन्न नीतियों के साथ बढ़ावा मिला है। हम उद्यमी बनाने और उद्यम निर्माण की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस तरह अगले छः महीनों में मध्य प्रदेश राज्य में एक लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए संकल्पित हैं। हमें यकीन है कि आप सभी के समर्थन और प्यार से हम इसे कर पाएंगे।

अनुराधा सिंघई

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और या/ महिला उद्यमियों की स्वरोजगार स्थापना में सहायक सिडबी की ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान युगांतरकारी **'स्टैंड अप इंडिया'** योजना की प्रस्तावना रखी। स्टैंड अप इंडिया आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली योजना है। इस योजना का उद्देश्य असेवित क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को संस्थागत ऋण संरचना का लाभ पहुंचाना है ताकि वे समर्थ होकर देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सकें। इस योजना से देश भर में स्थित 1.26 लाख बैंक शाखा नेटवर्कों से 2.5 लाख उधारकर्ताओं को फायदा होगा।

स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उधारकर्ता व एक महिला उधारकर्ता को रु. 10 लाख से रु 100 लाख तक बैंक ऋण सलभ कराना है। इस योजना के तहत मदद प्रदान करने के लिए स्टैंड अप इंडिया पोर्टल बनाया गया है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों द्वारा उद्यम प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 3 स्तंभों आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो निम्नलिखित हैं :-

1. प्रारंभिक सहायता
2. वित्त पोषण के लिए सूचना उपलब्ध कराना
3. क्रेडिट गारंटी

संभावी उद्यमी इस इंटरेक्टिव पोर्टल से सहायक सेवाएं जैसे

प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम, मेंटरिंग, मार्गदर्शन आदि एवं पोर्टल में एक्सेस कर ऋण के लिए पंजीकरण भी कर सकते हैं। पोर्टल से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों को केंद्र अथवा राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों, उद्योग संगठनों के महत्वपूर्ण लिंक भी उपलब्ध हो सकते हैं। योजना से संबंधित प्रमुख जानकारियां निम्नानुसार हैं :-

योजना का नाम

इस योजना का नाम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमियों के वित्तीयन हेतु स्टैंड-अप इंडिया योजना है।

उद्देश्य

उत्तिष्ठ भारत (स्टैंड-अप इंडिया) योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए रु.10 लाख से रु. 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा, कृषि संबद्ध या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में 51 प्रतिशत शेयरधारिता व नियंत्रक हिस्सेदारीअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

पात्रता

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही में निम्नानुसार पात्रताएं होनी चाहिए :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. योजना के अंतर्गत सहायता केवल नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना का अर्थ है - लाभार्थी का विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि संबद्ध या व्यापार क्षेत्र में पहली बार उद्यम लगाना।
3. गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में 51 प्रतिशत शेयरधारिता या नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
4. उधारकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था के प्रति चूककर्ता न हो।

सहायता का स्वरूप

योजना के तहत सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित कुल रु. 10 लाख से रु. 100 लाख तक के बीच सम्मिश्र ऋण प्रदान किए

जाने का प्रावधान है।

ऋण का प्रयोजन

योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध या व्यापार क्षेत्र मे नए उद्यम की स्थापना के लिए ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

ऋण का आकार

इस योजना के अंतर्गत सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित परियोजना लागत का 85 प्रतिशत सम्मिश्र ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यदि किन्ही अन्य योजनाओं में संमिलन सहायता के साथ उधारकर्ता का अंशदान परियोजना लागत से 15 प्रतिशत अधिक हो, तो परियोजना लागत का 85 प्रतिशत कवर करने में अपेक्षित ऋण संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।

ब्याजदर

योजनांतर्गत ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगा, जो (आधार दर (एमसीएलआर) + 3 प्रतिशत+आशय प्रीमियम) से अधिक नहीं होगा।

प्रतिभूति

बैंकों के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त, ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा या स्टैंड-अप इंडिया ऋण हेतु ऋण गारंटी निधि योजना की गारंटी से प्रत्याभूत किया जाएगा।

ऋण की अदायगी

योजनांतर्गत प्रदान किए गए ऋण की चुकौति अधिकतम 18 माह की ऋण स्थगन की अवधि सहित 7 वर्षों में की जाएगी।

कार्यशील पूंजी

योजना के तहत अधिकतम रु. 10 लाख तक की कार्यशील पूंजी के आहरण के लिए कार्यशील पूंजी ओवरड्राफ्ट के रूप में मंजूर की जाएगी। उधारकर्ता की सुविधा के लिए रूपे, डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा रु. 10 लाख से अधिक की कार्यशील पूंजी के लिए, कार्यशील पूंजी नकदी उधार सीमा के रूप में मंजूर की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. ***'स्टैंड अप इंडिया' योजना की शुरुआत कैसे हुई ?***

'स्टैंड अप इंडिया' की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को राष्ट्र को किए गए अपने संबोधन में की थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ महिला उद्यमियों द्वारा लगाए गए नए (ग्रीन-फील्ड) उद्यमों के लिए बैंक वित्त को बढ़ावा देना है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 1.25 लाख शाखाओं के देश-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से परिचालित की जाएगी।

2. ***'स्टैंड अप इंडिया' योजना का उद्देश्य क्या है ?***

'स्टैंड अप इंडिया' योजना का उद्देश्य नए उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता व महिला उधारकर्ता को रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ के बीच प्रति बैंक शाखा कम से कम एक बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध अथवा व्यापार के क्षेत्र में हो सकते हैं। गैर-वैयक्तिक उद्यमों के मामले में शेयरधारिता और नियंत्रक हिताधिकार का कम से कम 51 प्रतिशत या तो किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा अथवा किसी महिला उद्यमी द्वारा धारित होना चाहिए।

3. ***स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण का उद्देश्य क्या है ?***

यह योजना विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध अथवा व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमी द्वारा नए उद्यम स्थापित करने के लिए है।

4. ***10 लाख तक की ऋण आवश्यकता वाली योजनाएं कौन-कौन सी हैं ?***

10 लाख से कम के ऋणों के लिए बैंक अपनी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान कर रहे हैं। साथ ही मुद्रा लि. भी बैंकों के माध्यम से रु. 10 लाख तक के ऋणों के लिए 3 योजनाएं शिशु, किशोर, तरूण, परिचालित करता है। और अधिक विवरणो के लिए कृपया www.mudra.org.in देखें।

5. ***स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लक्ष्य ग्राहक कौन हैं/ ऋण के लिए किस प्रकार के ग्राहक पात्र हैं ?***

नए उद्यमों की स्थापना हेतु स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/अथवा महिला उद्यमी पात्र हैं। खास तौर से विनिर्माण, सेवा, कृषि-संबद्ध अथवा व्यापार क्षेत्र की परियोजनाएं इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र होंगी।

6. ***कृषि संबद्ध गतिविधियों के तहत सभी क्या पात्र हैं ?***

मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन, पालन, ग्रेडिंग, छंटाई, एकत्रीकरण कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण आदि गतिविधियां, फसल ऋणों को छोड़कर, भूमि सुधार जैसे नहरें सिंचाई। इनका समर्थन करने वाली सेवाएं कुएं और योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

7. ***स्टैंड अप इंडिया योजनांतर्गत ऋण का स्वरूप क्या होगा ?***

रु. 10 लाख से 100 लाख तक के सम्मिश्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) पात्र होंगे, जिनमें परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक शामिल होगा।

8. ***स्टैंड अप इंडिया योजनांतर्गत ऋण का आकार क्या होगा ?***

रु.10 लाख और रु. 100 लाख तक के सम्मिश्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) पात्र होंगे।

9. ***स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ब्याज दर कितनी लगाई जाती है ?***

ब्याज दर उस श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रभारित की जा रही निम्नतम ब्याज दर होगी, जो आधार दर (एमसीएलआर + 3 प्रतिशत + अवधि प्रीमियम) से अधिक नहीं होगी।

10. ***स्टैंड अप इंडिया योजनांतर्गत प्रतिभूति संबंधी आवश्यकता क्या होगी ?***

ऋण से अर्जित प्राथमिक आस्ति पर बंधक/दृष्टि बंधक के अलावा ऋण संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा स्टैंड अप इंडिया ऋण हेतु ऋण गारंटी निधी योजना (सीजीएसएसआई) से भी प्रतिभूत हो सकता है, जिसका निर्णय बैंक करेंगे।

11. ***योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी संस्थाएं पात्र हैं ?***

अनुसूचित वाणिज्य बैंक की देश भर में स्थित सभी शाखाएं।

12. ***योजना के अंतर्गत चुकौती अवधि क्या है ?***

सम्मिश्र योजना के अंतर्गत चुकौती अवधि गतिविधि के स्वरूप और बैंक ऋण से खरीदी गई आस्तियों के उपयोगी जीवन के अनुरूप निर्धारित की जाएगी। किन्तु वह 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और अधिकतम 18 महीने का ऋण स्थगन होगा।

13. ***स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की प्रमुख बातें क्या हैं ?***

पात्रता : पात्र ऋणदात्री संस्थाएं जो ट्रस्ट के साथ करार निष्पादित कर एकल उधारकर्ता को बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और या तृतीय पक्ष की गारंटी के रु. 10 लाख से अधिक और रु. 100 लाख तक की कार्यशील पूंजी सहायता सहित, ऋण उपलब्ध कराती हैं, उस सहायता राशि या किसी अन्य राशि के लिए जो कि न्यासी कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा।

विवरण : विस्तृत ब्यौरे एनसीजीटीसी (www.ncgtc.in) की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पाद एवं सेवाएं लिंक का अवलोकन करें और स्टैंड-अप इंडिया ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएसआई) - योजना की अधिसूचना का चयन करें।

14. ***स्टैंड अप इंडिया योजना स्माइल योजना से किस प्रकार अलग है ?***

स्माइल योजना मौजूदा और नई इकाईयों के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 25 चिन्हित क्षेत्रों में चलाई जा रही है, परियोजनाओं में निवेश के लिए केवल सिडबी के माध्यम से परिचालित की जा रही है। इसमें सहायता अर्ध-इक्विटी और सावधि ऋण के रूप में अपेक्षाकृत सुलभ शर्तों के रूप में दी जाती है, और नई इकाईयों के लिए सावधि ऋण का न्यूनतम आकार रू. 50 लाख रखा जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना का परिचालन देश भर की 125 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से प्रस्तावित है। इसमें खासतौर से अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं को रु. 10 लाख से अधिक और रु. 100 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे ताकि वे नए उद्यम ग्रीन फील्ड लगा सकें।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना का

एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम

देश में असंगठित क्षेत्र में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं जो गैर-पंजीकृत एवं अनौपचारिक हैं। प्लांट और मशीनरी में केवल 7 प्रतिशत निवेश और 3 प्रतिशत बकाया क्रेडिट के साथ असंगठित उद्यम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार में 74 प्रतिशत (एक तिहाई महिलाएं), आउटपुट में 12 प्रतिशत और मूल्यवर्धन में 27 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इनमें से लगभग 66 प्रतिशत इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और लगभग 80 प्रतिशत उद्यम परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण पारिवारिक आजीविका में सहायक हैं और शहरी क्षेत्रों में उनके पलायन को कम करती हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयां प्लांट और मशीनरी में अपने निवेश तथा टर्नओवर के अनुरूप सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आती हैं।

भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो इनके विकास को सीमित करती हैं तथा प्रदर्शन को कमजोर करती हैं। इन चुनौतियों में शामिल हैं :

(क) सीमित कौशलों के कारण उत्पादकता एवं नवप्रवर्तन तथा उत्पादन और पैकिंग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी तक पहुंच का अभाव।

(ख) अच्छी हाइजैनिक एवं विनिर्माण प्रथाओं के संबंध में मूल जागरूकता के अभाव सहित दोषपूर्ण गुणवत्ता एवं खाद्य संरक्षा नियंत्रण प्रणालियां।

(ग) ब्रांडिंग और विपणन दक्षताओं का अभाव तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं इत्यादि के साथ एकीकरण की अक्षमता।

(घ) पूंजी की कमी तथा कम बैंक क्रेडिट।

असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कौशल ट्रेनिंग, उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट एवं विपणन, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सघन हैंड-होल्डिंग सहायता की आवश्यकता है तथा बेहतर आउटरीच के लिए राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

पिछले दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण संगठनों (एफपीओ) एवं महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में किसानों को संगठित करने के सघन प्रयास किए हैं। स्व-सहायता समूहों ने थ्रिप्ट में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की है और 97 प्रतिशत एनपीए स्तर के साथ उनका पुनर्भुगतान रिकॉर्ड उत्तम रिकॉर्डों में से है। सरकारों ने

खाद्य प्रसंस्करण-सह-विभिन्न निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों को चलाने के लिए एसएचजी को समर्थ बनाने के प्रयास किए हैं, फिर भी कुछ ही सरकारी योजनाएं हैं जो एफपीओ और एसएचजी को सहायता देती हैं ताकि वे निवेश कर सकें और अपने प्रचालनों का उन्नयन कर सकें।

सूक्ष्म उद्यमों के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने और इन उद्यमों के उन्नयन तथा औपचारिकरण में सहायता देने के लिए समूहों तथा सहकारिताओं की क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम शुरू किया गया है।

15. योजना के अन्य लाभ क्या होंगे ?

स्टैंड अप इंडिया के लिए सिडबी द्वारा तैयार किया गया वेब पोर्टल (www.standupmitra.in) संभावित उधारकर्ताओं को ऋण हेतु बैंकों से जोड़ने के साथ-साथ प्रशिक्षण, कौशल विकास, मेंटरिंग, परियोजना रिपोर्ट निर्माण, आवेदन पत्र भरने वर्कशेड/ उपयोगिता सहायता सेवा, सब्सिडी योजनाओं वाली एजेंसियों आदि के माध्यम से हैंड होल्डिंग सहायता भी मुहैया कराता है।

16. योजना के अंतर्गत लाभग्राही को चिन्हित करने की प्रणाली क्या है ?

लाभग्राही बैंक में चलकर आने वाले ग्राहक, ऑनलाइन आवेदक अथवा ऐसी विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के प्रशिक्षु हो सकते हैं जो रोजगारपरक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, वित्तीय प्रशिक्षण आदि प्रदान करती हैं।

17. मैं एक गृहणी हूं। मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया है। मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूं। क्या मुझे इस योजना में ऋण मिलेगा ?

स्टैंड अप इंडिया महिलाओं के लिए बनी विशेष योजना है। अत: आप इस योजना के अंतर्गत अपनी आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते सम्मिश्र ऋण की राशि रु.10 लाख से रु. 100 लाख के बीच हो।

18. मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का हूं, और अभी बेरोजगार हूं। मैं अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। क्या मुझे इस योजना के अंतर्गत ऋण मिल सकता है ?

नई परियोजना लगाने रु. 10 लाख से रु. 100 लाख तक के सम्मिश्र ऋण स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं, बशर्ते वे योजना के अंतर्गत अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों। अधिक विवरण हेतु कृपया अपनी निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करें, अथवा स्टैंड अप इंडिया पोर्टल देखें।

19. मार्गदर्शक सहायता क्या है ?

किसी भी नए उद्यमियों को बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण आवेदन भरने संबंधी प्रशिक्षण से लेकर आगे तक उसका स्वयं का व्यवसाय उद्यम स्थापित करने में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह पोर्टल विशिष्ट विशेषज्ञता रखने वाली विभिन्न एजेंसियों से जुड़ने हेतु इस संबंध में कदम दर कदम मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। जैसे कौशल केंद्र परामर्श सहायता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम केंद्र, जिला उद्योग केंद्र आदि के पते एवं संपर्क नंबर सहित।

20. मुझे मार्गदर्शक सहायता किस प्रकार मिल सकती है ?

आप पोर्टल को देख सकते हैं अथवा अपने निकटतम संयोजन केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको आवश्यक मार्गदर्शक सहायता की प्रकृति की पहचान की जा सके। मोटे तौर पर मार्गदर्शक सहायता को विशेषज्ञता के 7 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जो हैं - कौशल उन्नयन (व्यावसायिक), वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, परामर्श प्रदान करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ऋण आवेदन भरना, जिला उद्योग केंद्रों से वर्कशेड्स एवं सब्सिडी सहायता हेतु मार्जिन राशि।

21. क्या मुझे प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु भुगतान करना है। यदि हां तो कितना ?

प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आपको एजेंसी को सीधे ही उनके लागू शुल्क ढांचे के अनुसार भुगतान करना होगा।

22. क्या मुझे पोर्टल पर पंजीकरण हेतु भुगतान करना है ?

पोर्टल पर पंजीकरण नि:शुल्क है।

23. यह पोर्टल मेरे लिए किस प्रकार सहायक है ?

यह पोर्टल आपके व्यवसाय उद्यम को आरंभ करने हेतु एक कदम दर कदम स्पष्ट मार्गदर्शक है।

24. यदि मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं होता तो मुझे क्या करना चाहिए ?

आपके प्रस्ताव के मंजूर न होने का कारण जानने हेतु कृपया अपने अधिमान्य बैंकर (आपके द्वारा चयनित) से संपर्क करें तथा उसके अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करें ताकि प्रस्ताव ऋण प्राप्त करने योग्य हो सके।

25. यदि मेरे पास समानांतर प्रतिभूति है, तो क्या स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ऋण हेतु मुझे अनिवार्य रूप से ऋण गारंटी कवर के विकल्प का चयन करना होगा ?

नहीं। केवल ऋण गारंटी कवर के माध्यम से ही ऋण की प्रतिभूति बनाने के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है। आप ऋण को समानांतर प्रतिभूति के माध्यम से भी प्रतिभूत कर सकते हैं। कृपया इस संबंध में अपने बैंकर से चर्चा कर लें।

लक्ष्य

योजना के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकरण को प्रोत्साहन देना, तथा

(ii) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारिताओं को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता देना।

उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

(i) तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड-होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण।

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना।

(iii) सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ लेने हेतु कृषक उत्पादन संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना।

(iv) मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण हेतु औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर जाने में सहायता।

(v) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ समीकरण।

कवरेज

योजना के अंतर्गत 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता दी जाएगी। पर्याप्त सहायक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा संस्थागत आर्किटैक्चर को क्षेत्र की वृद्धि को तेज करने के लिए सहायता दी जाएगी।

एक जिला-एक उत्पाद : क्लस्टर दृष्टिकोण

उद्यम के उन्नयन में सहयोगी सुविधाओं/सेवाओं की प्राप्ति सुलभ कराने, साझा सेवाओं और उत्पादों के विपणन हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण वैल्यू चेन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। एक जिले में एक उत्पाद के लिए एक से

अधिक क्लस्टर हो सकते हैं। एक क्लस्टर का विस्तार एक से अधिक जिलों में हो सकता है। शीघ्र खराब होने वाली उपज पर ध्यान केंद्रित करने के योजना के लक्ष्य को देखते हुए राज्यों के विभिन्न जिलों के लिए किसी एक खाद्य उत्पाद को चिन्हित किया गया है।

— ओडीओपी उत्पाद एक शीघ्र खराब होने वाली उपज, अनाज आधारित उत्पाद अथवा एक जिले में एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपजाया जाने वाला खाद्य उत्पाद हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्यिकी, पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा आदि।

— योजनांतर्गत पूंजी निवेश के लिए मौजूदा निजी/व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देने के संबंध में ओडीओपी दृष्टिकोण के तहत उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु, अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाले मौजूदा उद्योगों को भी सहायता दी जाएगी।

— ऐसे जिले में अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले समूहों को सहायता केवल उन्हीं इकाइयों को दी जाएगी जो ऐसे उत्पादों का पहले से प्रसंस्करण कर रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त तकनीकी वित्तीय तथा उद्यमी क्षमता है।

— नए उद्यम चाहे वे निजी के लिए हों या समूहों के लिए, को सहायता केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए ही दी जाएगी।

ओडीओपी कार्यक्रम के लिए सेडमैप नोडल एजेंसी घोषित

भोपाल। *केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए प्रदेश में उद्यमिता विकास केंद्र मप्र (सेडमैप) को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। केंद्र की कार्यकारी संचालक* ***श्रीमती अनुराधा सिंघई*** *ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि सचिव एमएसएमई* ***श्री पी नरहरि*** *ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि ने अपने पत्र में लिखा है कि सेडमैप प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्तशासी संस्थान है तथा प्रदेश के सभी जिलों में विभाग के उद्यमिता विकास, कौशल विकास, सर्वे, रिसर्च आदि से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सभी जिलों में सेडमैप के विशेषज्ञों की मौजूदगी एवं अनुभव को देखते हुए उसे सभी जिलों में ओडीओपी योजना के तहत नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। अब ओडीओपी के विकास के लिए सेडमैप के द्वारा जिलों की आवश्यकता के अनुसार बेसलाइन सर्वे, डायग्नोस्टिक स्टडी सहित प्रिलिमिनरी एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के निर्माण में उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सेडमैप प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल परपस व्हीकल के फॉर्मेशन सहित सूचनाओं के प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। सेडमैप उद्यमियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के साथ ही कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का भी आयोजन करेगा। इसके साथ ही सेडमैप को डिजाइन इंटरवेंशन, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए प्रोडक्ट लाईन के विकास, सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण एवं मशीनों तथा उपकरणों की स्थापना, उत्पादन केंद्र, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने में सहायता, बैकवार्ड एवं फारवार्ड मार्केट लिंकेजेस, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, डाक्यूमेंटेशन, अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के साथ समामेलन, ऋण सुविधा, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, उद्यमिता विकास, व्यवसाय की शुरुआत एवं अन्य सहायता सेवाएं प्राप्त करने में हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का कार्य भी सौंपा गया है।*

— कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए सहायता ओडीओपी उत्पादों के लिए ही होगी। राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता के मामले में जिलों के समान उत्पादों को भी जिनमें वही उत्पाद ओडीओपी के रूप में नहीं है, शामिल किया जा सकता है।

— योजना में बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों को मजबूत करने, साझा सुविधाओं, इन्क्यूबेशन केंद्रों, प्रशिक्षण, रिसर्च, विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता दी जाएगी। जिसका प्रावधान मुख्य रूप से ओडीओपी उत्पादों के लिए होगा।

निजी/व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता

निजी/ व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अपने विस्तार / प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा

10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक होगी। इसमें लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए।

योजनांतर्गत सहायता पात्र करने हेतु पात्रता मानदंड

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से निम्नानुसार पात्रताएं अपेक्षित हैं :

(i) उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/भागीदार फर्म।

(ii) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यम जो कि ओडीओपी उत्पादों के लिए एसएलयूपी में चिन्हित की हुई होना चाहिए अथवा भौतिक समर्थन के आधार पर सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा सत्यापित की गई होना चाहिए।

(iii) बिजली का उपयोग करने वाले उद्यमों के मामले में बिजली बिल उनके प्रचलन में होने का समर्थन करेंगे। अन्य उद्योगों के लिए विद्यमान प्रचालन, सूची, मशीनें एवं सेल्स आधार का काम करेंगी।

(iv) उद्यम अनिगमित होना चाहिए और उसमें 10 से कम श्रमिक होना चाहिए।

(v) आवेदक 18 वर्ष से अधिक का हो और कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

(vi) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार में स्वयं, पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।

ओडीओपी के लिए
मप्र के विभिन्न जिलों हेतु चयनित उत्पाद

1.	आगर मालवा	संतरा, नींबू
2.	अलीराजपुर	सीताफल
3.	अनूपपुर	आम
4.	अशोकनगर	टमाटर
5.	बालाघाट	कोदो-कुटकी
6.	बड़वानी	अदरक
7.	बैतूल	आम
8.	भिंड	बाजरा
9.	भोपाल	अमरूद
10.	बुरहानपुर	केला
11.	छतरपुर	पान
12.	छिंदवाड़ा	आलू
13.	दमोह	टमाटर
14.	दतिया	टमाटर
15.	देवास	आलू
16.	धार	सीताफल
17.	डिंडोरी	कोदो-कुटकी
18.	गुना	धनिया
19.	ग्वालियर	आलू
20.	हरदा	प्याज
21.	होशंगाबाद	अमरूद
22.	इंदौर	आलू
23.	जबलपुर	हरा मटर
24.	झाबुआ	टमाटर
25.	कटनी	टमाटर
26.	खंडवा	प्याज
27.	खरगोन	मिर्च
28.	मंडला	कोदो-कुटकी
29.	मंदसौर	लहसुन
30.	मुरैना	सरसों उत्पाद
31.	नरसिंहपुर	गन्ना उत्पाद
32.	नीमच	धनिया
33.	निवाड़ी	अदरक
34.	पन्ना	आंवला
35.	रायसेन	टमाटर
36.	राजगढ़	संतरा, नींबू
37.	रतलाम	लहसुन
38.	रीवा	हल्दी
39.	सागर	टमाटर
40.	सतना	टमाटर
41.	सिहोर	अमरूद
42.	सिवनी	सीताफल
43.	शहडोल	हल्दी
44.	शाजापुर	प्याज
45.	श्योपुर	अमरूद
46.	शिवपुरी	टमाटर
47.	सीधी	आम
48.	सिंगरौली	आम
49.	टीकमगढ़	अदरक
50.	उज्जैन	प्याज
51.	उमरिया	आम
52.	विदिशा	प्याज

(vii) बेहतर होगा कि उद्यम जिले के ओडीओपी में चिह्नित किए गए उत्पाद के उत्पादन में लगा हुआ होना चाहिए। अन्य सूक्ष्म उद्यमों पर भी विचार किया जा सकता है।

(viii) फॉर्मलाइजेशन का इच्छुक हो और परियोजना लागत के 10 प्रतिशत का योगदान दें तथा बैंक ऋण प्राप्त करे।

(ix) भूमि की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जानी चाहिए। तैयार बने हुए की लागत तथा लंबी पट्टावधि अथवा किराए पर वर्कशेड को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है। वर्कशेड का पट्टा किराया परियोजना लागत में शामिल किया जाए जो केवल अधिकतम तीन वर्ष के लिए हो।

आवेदन करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उद्योगों के लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को एफ.एम.ई. पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए। जांच के बाद बैंकों को ऋण प्रस्तावों की सिफारिश की जाएगी। राज्य सरकार बैंकों को सिफारिश किए जाने वाले आवेदनों की सूची बनाने के लिए उपयुक्त स्तर तय कर सकते हैं।

अनुदान हेतु बैंक के साथ कार्रवाई

राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को सब्सिडी वितरित करने और लाभार्थियों को लाभ देने के लिए अन्य बैंकों के साथ संपर्क का काम नोडल बैंक के द्वारा किया जाएगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक लाभार्थी के नाम से एक और एकाउंट खोलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 अनुपात में अनुदान क्रमशः राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ऋण देने वाले बैंक में लाभार्थी के इस खाते में जमा किया जाएगा। यदि ऋण की अंतिम किश्त के वितरण से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात लाभार्थी इस अवधि तक किश्त व ब्याज सही तरीके से चुका रहा हो और उद्यम कार्यशील हो तो यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। समूहों तथा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान भी इसी सिद्धांत

को अपनाते हुए उनके बैंक में भेजी जाएगी।

समूह श्रेणी के अंतर्गत मिलने वाली सहायता

योजना में समूह श्रेणी के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारिताओं को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी –

(i) यथा-निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ पूंजी निवेश हेतु क्रेडिट लिंकेज के साथ 35 प्रतिशत की दर से अनुदान।

(ii) प्रशिक्षण सहायता।

(iii) बड़े क्लस्टर के स्तर पर ब्रांड विकसित करने हेतु ओडीओपी के अंतर्गत उत्पादों की विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता।

समूह श्रेणी के अंतर्गत सहायता हेतु पात्रता मानदंड

योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार पात्रताएं अपेक्षित हैं :

(i) उद्यम कम से कम तीन वर्षों तक ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण में लगा हुआ होना चाहिए।

(ii) एसएचजी/ एफपीओ/ उत्पादक सहकारिताओं के मामले में उनका न्यूनतम टर्न ओवर एक करोड़ रुपए और प्रस्तावित परियोजना लागत वर्तमान टर्नओवर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) एसएचजी/ एफपीओ / उत्पादक सहकारिताओं के पास परियोजना लागत और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी का 10 प्रतिशत पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन होने चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों को सहायता

वर्तमान में अनेक एसएचजी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यकलाप चला रहे हैं। इस योजना में एसएचजी को निम्नलिखित सहायता देने का प्रावधान है :

(i) योजना में वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40 हजार रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी।

(ii) प्रारंभिक पूंजी देने में ओडीओपी उपज में शामिल एसएचजी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) अनुदान के रूप में प्रारंभिक पूंजी एसएचजी फेडरेशन के स्तर पर दी जाएगी जो आगे एसएचजी द्वारा ऋण के रूप में सदस्यों को दी जाएगी।

(iv) एसएचजी के किसी एकल सदस्य को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उसकी एकल इकाई के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदंड

प्रारंभिक पूंजी के लिए केवल वे एस.एच.जी. सदस्य जो वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत हैं, पात्र होंगे। एस.एच.जी. सदस्य को इस राशि को वर्किंग

कैपिटल तथा छोटे औजारों को खरीदने हेतु उपयोग करने की प्रतिबद्धता करनी होगी और इस संबंध में एस.एच.जी. एवं एसएचजी फेडरेशन को वचन देना होगा।

प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने से पहले एसएचजी फेडरेशन को प्रत्येक सदस्य के बारे में निम्नलिखित मूल सूचना एकत्र करनी होगी :

(क) प्रसंस्कृत किए जा रहे उत्पाद का ब्यौरा

(ख) चलाए जा रहे अन्य कार्यकलाप

(ग) वार्षिक टर्न ओवर

(घ) कच्ची सामग्री का स्त्रोत और उपज का विपणन

सहायता प्राप्त करने हेतु एसएचजी के लिए पात्रता मानदंड

(i) एसएचजी के पास परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और वर्किंग कैपिटल के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी को पूरा करने के लिए पर्याप्त निजी निधियां अथवा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए।

(ii) एसएचजी सदस्यों को ओडीओपी उत्पाद के प्रसंस्करण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

सामान्य अवसंरचना का सृजन (कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता)

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता एफपीओ, एसएचजी, सहकारिताओं, किसी सरकारी एजेंसी अथवा निजी उद्यम को दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सृजित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्य उद्योगों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी ताकि क्षमता के महत्वपूर्ण भाग के रूप में किराए के आधार पर उपयोग में लाई जा सके। इस श्रेणी के अंतर्गत परियोजना की पात्रता किसानों और मुख्य रूप से उद्योग को लाभ, वैलिडिटी गैप, निजी निवेश के अभाव, मूल्य श्रृंखला के लिए महत्ता के आधार पर निश्चित की जाएगी। ऐसे मामलों में निर्धारण किए अनुसार क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान अधिकतम 35 प्रतिशत की दर तक उपलब्ध होगा।

योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने वाले कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रकार :

निम्नलिखित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर को योजना के अंतर्गत वित्त उपलब्ध कराया जाएगा:

(i) कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, खेत पर गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए परिसर,

(ii) ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण हेतु कॉमन प्रसंस्करण सुविधा,

(iii) इन्क्यूबेशन सेंटर में एक या अधिक उत्पाद प्रणालियां शामिल होनी चाहिए जो छोटे उद्योगों द्वारा अपनी उपजों के प्रसंस्करण के लिए किराए के आधार पर उपयोग की जा सकें। इन्क्यूबेशन सेंटर आंशिक रूप से ट्रेनिंग के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। यह व्यावसायिक आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए समूहों हेतु प्रक्रिया :

योजना के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजी निवेश हेतु वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए :

(i) पूंजी निवेश तथा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु डीपीआर यथा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार की जाना चाहिए।

(ii) डीपीआर में प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना लागत, प्रस्तावित मैन पॉवर, टर्न ओवर, विपणन चैनल, कच्ची सामग्री के स्त्रोतों, अनुमानित लाभ एवं हानि का ब्यौरा, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि का आवश्यक विवरण होना चाहिए।

(iii) डीपीआर राज्य नोडल एजेंसी को भेजी जानी चाहिए। एसएलसी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एनएनए को प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संस्तुत करना चाहिए। 10 लाख रुपए से अधिक के अनुदान हेतु समूह को सहायता का कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थान को भेजा जाना चाहिए।

(v) डीपीआर में यथा प्रस्तावित तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के लागत मानदंडों के अनुसार ट्रेनिंग घंटों और मॉड्यूलों के आधार पर समूह के सदस्यों को ट्रेनिंग सहायता के लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए। ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के अवयव को योजना के अंतर्गत पूरा वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) डीपीआर तैयार करने के लिए एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं को 50 हजार रुपए प्रति मामले उपलब्ध कराए जाएंगे।

(vii) बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दिए जाने के पश्चात अनुदान का वितरण आवेदक संगठन के बैंक खाते में होना चाहिए।

ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता

साझा पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करने, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण के साथ

पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग का विकास करने तथा उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिए खाद्य संरक्षा पैरामीटरों का पालन करने के लिए ओडीओपी दृष्टिकोण अपनाते हुए योजना के अंतर्गत एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और बिक्री सहायता दी जाएगी।

साझा विपणन और ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम मात्रा में उत्पाद की आवश्यकता होती है, जिसे एक साथ बड़ी संख्या में उत्पादकों के एफपीओ/ एसएचजी / सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। इन संगठनों को डीपीआर के आधार पर सहायता दी जाएगी। ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रस्तावों हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य नोडल एजेंसी से उपलब्ध होगी। ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ कुल व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी। ब्रांडिंग और विपणन के लिए राज्यों या राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के लिए समर्थन दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत रिटेल आउटलेट शुरू करने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

सहायता के लिए पात्र मदें

योजनांतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :-

(क) विपणन संबंधी ट्रेनिंग के लिए योजना के अंतर्गत पूरा वित्त उपलब्ध कराया जाएगा,

(ख) सांझा पैकेजिंग में भाग लेने के लिए मानकीकरण सहित सांझा ब्रांड और पैकेजिंग का विकास करना,

(ग) राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रिटेल चेन और राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ विपणन तालमेल,

(घ) अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण।

पात्रता मानदंड

योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तावों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :-

(i) प्रस्ताव ओडीओपी से संबंधित होना चाहिए।

(ii) उत्पाद का न्यूनतम टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होना चाहिए।

(iii) अंतिम उत्पाद वह होना चाहिए जो रिटेल पैक में उपभोक्ता को बेचा जाए।

(iv) बड़ी संख्या में उत्पादकों को एक साथ लाने के लिए उत्पादक को एफपीओ/ एसएचजी /सहकारिता /क्षेत्र-राज्य स्तर पर एसपीवी होना चाहिए।

(v) उत्पाद और उत्पादक बड़े स्तर पर मापनीय होना चाहिए।

(vi) प्रबंधन और संस्था को प्रोत्साहित करने की उद्यमशीलता क्षमता प्रस्ताव में प्रमाणित की जाना चाहिए।

सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता हेतु आवेदन करने में रुचि रखने वाले एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियां डीपीआर राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को प्रस्तुत करें। राज्य नोडल एजेंसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगी और राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलसी) की सिफारिश के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करेंगी। उसके पश्चात प्रस्ताव ऋण की मंजूरी हेतु बैंक को संस्तुत किया जाएगा। साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन हेतु सहायता के लिए आवेदन करने हेतु भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

प्रस्ताव के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जानी चाहिए, जिसमें परियोजना, उत्पाद, रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण, उपज के एकीकरण, सांझा पैकिंग और ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण नीति, प्रोत्साहन संबंधी ब्यौरे, गोदाम और स्टोरेज, विपणन माध्यम, बिक्री में वृद्धि की योजनाओं इत्यादि का अनिवार्य ब्यौरा शामिल है। विपणन और ब्रांडिंग के लिए प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने के लिए एसएनए से 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध होगी। प्रस्ताव में कच्ची सामग्री की खरीद से लेकर विपणन के कार्यकलापों, महत्वपूर्ण कंट्रोल प्वाइंट्स, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना, प्रोत्साहन कार्यकलापों के अनुरूप 5 वर्षों के लिए योजनाओं, भागीदार उत्पादकों की बढ़ती हुई संख्या और टर्नओवर का भी अनुक्रम चार्ट होना चाहिए।

कृषि अधोसरचना कोष योजना मे प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश

अब तक 40 प्रतिशत राशि का हो चुका है डिस्बर्समेंट

देश मे कृषि अधोसंरचना मे सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (एआईएफ) स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की घोषणा की गई है, जिसमें से मप्र को रूपए 7440 करोड़ से रूपए 12000 करोड़ तक की वित्तीय सुविधा का आवंटन किया जाएगा।

इस योजना के द्वारा कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी एफपीओ, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पीएसीएस इत्यादि जो भी लोग कृषि से जुड़े हैं एवं कृषि अधोसंरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 02 करोड़ रूपए की सीमा तक ऋण पर 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 07 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चैन, वेयरहाउस, साइलों, पैक हाउस, विश्लेषण/जांच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स् सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चेंबर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिसीसन फार्मिंग इत्याादि के लिए प्रदान की जा रही है।

यह योजना हमारे प्रदेश में कृषि अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मध्यप्रदेश में इस योजना का संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के संचालन हेतु राज्य स्तरीय कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में स्थापित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बंधित विभागों से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस योजना अंतर्गत केन्द्रीय एवं राज्य की ऐसी योजनाएं जो एआईएफ के साथ कनवर्ज की जा सकती हैं उनमें सब्सिडी के साथ साथ 3 प्रतिशत ब्याज छूट का अतिरिक्त लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में एआईएफ योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा 2207 आवेदन रूपए 1603.77 करोड़ राशि के सत्यापित हो चुके हैं एवं उक्त आवेदनों में से 1136.09 करोड़ की राशि का डिस्बर्समेंट किया जा चुका है। इस योजना में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश 40 प्रतिशत डिस्बर्समेंट राशि के साथ प्रथम स्थान पर है।

योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या हेतु टोल फ्री नंबर 0755-276348 भी जारी किया गया है।

□ **विकास नरवारल,** आईएएस,
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मंडी बोर्ड, भोपाल

पीएम स्वनिधि विकास योजना के क्रियान्वयन में

लक्ष्य से आगे मध्य प्रदेश

निकुंज कुमार श्रीवास्तव,
आईएएस
आयुक्त, नगरीय आवास एवं
विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पथ विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/संदर्भ में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकोड़े, ब्रेड, अण्डे, वस्त्र, परिधान, जूते-चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें/लेखन सामग्री आदि शामिल होती हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पानी की दुकानें, लॉंड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉक डाउन से पथ विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉक डाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गई होगी। इसलिए इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) हेतु ऋण की अति आवश्यकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना आरंभ की गई है। मध्य प्रदेश में यह योजना अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर संचालित की जा रही है।

कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित शहरी पथ व्यवसायियों के रोजगार एवं आजीविका को सहारा देने के लिए मध्य प्रदेश में नगरीय आवास एवं विकास विभाग द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल के द्वारा अब तक 7.63 लाख से भी ज्यादा पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु चिन्हित कर, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान कर योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश निर्धारित लक्ष्य से भी आगे निकल गया है। उल्लेखनीय है कि शहरी पथ व्यवसायियों को पुनः रोजगार से जोड़ने एवं स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज-2 में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना आरंभ की गई है।

हितग्राहियों की पात्रता

शहरी क्षेत्र के ऐसे समस्त वेंडर इस का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं –

— जो दिनांक 24 मार्च, 2020 से पूर्व शहरी पथ विक्रेता रहे हों या

— कोरोना महामारी के कारण पुनः अपने प्रदेश में लौट आए हों या

— शहरी क्षेत्र के पास के ग्रामीण क्षेत्र से

पथ विक्रेता का कार्य करने आतें हों।

हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ

योजनांतर्गत हितग्राहियों को निम्नानुसार लाभ प्राप्त करने की पात्रता है–

— एक वर्ष के लिए 10 हजार रुपए की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा।

— डिजिटल ट्रांजेक्शन पर वर्ष में अधिकतम रु. 1200/– का विशेष

अनुदान।

— समय से या शीघ्र भुगतान करने पर हितग्राही अधिकतम दो सौ प्रतिशत, रु. 20 हजार तक की सीमा के कार्यशील पूंजी ऋण व ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगा।

— ओवर ड्राफ्ट तथा सीसी लिमिट की सुविधा।

— ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन ऋण स्वीकृति व कम से कम पेपर वर्क की सुविधा।

ब्याज अनुदान

योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा हितग्राहियों को 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। पथ विक्रेताओं को ऋण वापसी पर ब्याज का भार वहन न करना पड़े, इस हेतु राज्य शासन द्वारा 7 प्रतिशत से अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान वहन करने का निर्णय लिया गया है।

स्टांप ड्यूटी में रियायत

पथ विक्रेताओं को अल्प ऋण लेने हेतु बैंकों से अनुबंध निष्पादन के दौरान राज्य शासन द्वारा स्टाम्प ड्यूटी रुपए 2500 से रुपए 25 तय की गई है।

कैशबैक सुविधा

योजनांतर्गत हितग्राहियों को निम्नानुसार कैशबैक प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है :–

— प्रथम 50 लेन–देन पर प्रति ट्रांजेक्शन 1 रुपए का कैशबैक

— अगले 50 ट्रांजेक्शन पर प्रति ट्रांजेक्शन 0.50 रुपए का कैशबैक

— अगले 100 ट्रांजेक्शन पर प्रति ट्रांजेक्शन 0.25 रुपए का कैशबैक

— पथ विक्रेता को अधिकतम 100 रुपए का मासिक कैशबैक

ऑनलाइन सुविधा : योजनांतर्गत पथ विक्रेता पोर्टल के माध्यम से अपने मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करके ऑनलाइन पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु पथ विक्रेता को नगर निगम व नगर पालिका के कार्यालयों में जाकर समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

योजनांतर्गत प्रदेश की प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियां

योजनांतर्गत प्रदेश द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. राज्य सरकार द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के पंजीयन हेतु मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 06 जून 2020 को किया गया।
2. शहरी पथ विक्रेताओं का आधार आधारित सर्वेक्षण किया गया।
3. वार्ड–वार दलों का गठन कर समस्त पात्र पथ विक्रेताओं का सत्यापन किया गया।
4. मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल के द्वारा 7.63 लाख पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को पी.एम. स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान करने हेतु चिन्हित कर पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
5. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैंकों से समन्वय के लिए समय–समय पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की गई है।
6. डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने हेतु 1.31 लाख पथ विक्रेताओं को बैंकों से समन्वय कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
7. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आम सभा व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ विक्रेताओं से सीधे चर्चा की गई।
8. नौ सितंबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के करकमलों

से एक लाख पथ विक्रेताओं को पीएम–स्वनिधि योजनांतर्गत 10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण का वितरण एवं संवाद कराने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है।

9. एक जुलाई, 2021 को डिजिटल दिवस के उपलक्ष्य में उज्जैन शहर की प्रथम महिला पथ विक्रेता नाजमीन शाह से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चर्चा की गई।

10. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2020, 6 जनवरी, 2021 एवं 20 अगस्त 2021 को विभिन्न शहरों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वनिधि संवाद किया गया।

मैं भी डिजीटल अभियान

डिजीटल अभियान के जरिए डिजीटल लेन-देन को प्रोत्साहित करना योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार द्वारा 223 शहरों में 31 दिसंबर 2021 तक शतप्रतिशत पथ विक्रेताओं को डिजीटल लेन-देन हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के 10 नगरीय निकाय - इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, मुरैना, धार, विदिशा एवं छतरपुर को चयनित किया गया है। पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से डिजीटल पेमेन्ट एग्रीगेटर (DPAs) जैसे फोनपे, भारतपे, पेटीएम, एमस्वाइप एवं एकवेयर के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 1.54 लाख हितग्राही डिजीटल प्लेटफॉर्म से जोड़े गए हैं।

स्वनिधि से समृद्धि योजना

भारत सरकार द्वारा 125 चयनित शहरों में मध्य प्रदेश के 9 नगरीय निकाय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, सागर, गुना व छतरपुर का चयन किया गया है। इन 9 नगरों में पथ विक्रेताओं के परिवार के सभी सदस्यों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कर सभी पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है- 1. पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2. पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 3. पीएम श्रमयोगी मानधन योजना 4. वन नेशन वन राशन कार्ड 5. पीएम जनधन योजना 6. पीएम मातृवंदना योजना 7. जननी सुरक्षा योजना 8. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक योजना में पंजीयन

योजना में लाभ दिए जाने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी शहरों में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी, जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी तथा जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक प्रबंधक शामिल हैं। इन 9 शहरों में पथ विक्रेताओं के परिवारों के 1.50 लाख सदस्यों का सर्वे कर उपरोक्त योजनाओं में 1.11 लाख सदस्यों को लाभ दिया गया है। स्वनिधि से समृद्धि योजनांतर्गत भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में पथ विक्रेताओं के परिवार के सदस्यों को जोड़ने में नगरीय निकाय सागर देश में प्रथम स्थान पर है। सागर के द्वारा कुल 26,323 परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किया गया।

घोषणा पत्र

प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की धारा -19 डी के अधीन प्रकाशनार्थ अपेक्षित उद्यमिता समाचार पत्र के स्वामित्व संबंधित तथा अन्य विवरण

फार्म - IV

1.	प्रकाशन का स्थान	:	भोपाल
2.	प्रकाशन की नियत अवधि	:	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	:	आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा. लि.
	राष्ट्रीयता		भारतीय
	पता		15-बी, सेक्टर -सी, जे.के. रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, पिपलानी, भोपाल - 462023 मध्यप्रदेश।
4.	प्रकाशक का नाम		उमाशंकर दुबे
	राष्ट्रीयता		भारतीय
	पता		एल.आई.जी. - 15, फेस -1, कान्हा कुंज, कोलार रोड, भोपाल-462042
5.	संपादक का नाम		उमाशंकर दुबे
	राष्ट्रीयता		भारतीय
	पता		एल.आई.जी. - 15, फेस -1, कान्हा कुंज, कोलार रोड, भोपाल-462042
6.	उन व्यक्तियों के, जो समाचार पत्र के स्वामी हैं और उन भागीदारों या शेयरधारकों के, जो कुल पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक के अंशधारक हैं, नाम और पते।		उद्यमिता विकास केंद्र मप्र 16-ए, अरेरा हिल्स भोपाल, 462 011 मध्य प्रदेश

मैं उमाशंकर दुबे घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख, 25 फरवरी 2022 प्रकाशक के हस्ताक्षर

उमाशंकर दुबे

पात्रता :

i. ग्रामीण प्रवासी श्रमिक एवं समाज के समस्त गरीब पात्र होंगे।

ii. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी जो आजीविका मिशन/तेजस्विनी परियोजना में गठित समूह सदस्य हों या जिनकी पत्नी समूह सदस्य हों।

iii. रोजगार/कामगार सेतु में दर्ज ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक। इनके द्वारा नवीन व्यवसाय का आवेदन भी दिया जा सकता है।

iv. म. प्र. का मूल निवासी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता होगी किंतु स्थानीय प्रमाण पत्र शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

v. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

नोट : उद्यमियों हेतु ग्राम पंचायत वार सर्वेक्षण कराया जा सकता है। सर्वेक्षण में पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया जाए।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदक द्वारा आवेदन कामगार पोर्टल पर जनपद पंचायत में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र नि:शुल्क रहेगा।

आवेदन पत्रों का निराकरण

i. प्रकरणों का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

ii. जनपद पंचायत द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाएगा।

iii. बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी/धरोहर राशि की मांग आवेदक से नहीं की जाएगी।

iv. बैंक द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

v. 30 दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लंबित प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

समीक्षा

(क) राज्य स्तर – इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी आजीविका फोरम होगा। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें, संचालक संस्थागत वित्त, प्रदेश संचालक, भारतीय रिजर्व बैंक, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संचालक पंचायतराज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आजीविका फोरम सदस्य होंगे।

(ख) जिला स्तर : इस योजना की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य सचिव
3.	महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र	सदस्य
4.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
5.	तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
6.	वित्त अधिकारी – जिला पंचायत	सदस्य
7.	जिला परियोजना प्रबंधक (आजीविका मिशन)	सदस्य

ब्याज की दर एवं ऋण अदायगी :

i. आरंभिक स्थगन 03 माह का होगा।

ii. आरंभिक स्थगन के बाद ऋण अदायगी 01 वर्ष में की जाएगी।

iii. देय तिथि के पूर्व ऋण भुगतान पर कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

वित्तीय प्रवाह

बैंक द्वारा आवेदक/हितग्राही के प्रकरण स्वीकृति के पश्चात तथा प्रकरण के संबंध में बैंक की संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद जिले के नोडल बैंक से ब्याज अनुदान प्राप्ति क्लेम करेंगे। परियोजना लागत अधिकतम राशि रुपए 10 हजार निर्धारित है। प्रवासी श्रमिकों एवं समाज के गरीब वर्ग को कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता की राशि स्वीकृत परियोजना अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम द्वारा जिला पंचायत के नोडल बैंक में उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता राशि का अंतरण योजना के प्रावधान अनुसार किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा इसकी जानकारी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम को उपलब्ध कराई जाएगी।

हितग्राहियों के परिचय पत्र

योजनांतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को जनपद पंचायत द्वारा ऑनलाईन परिचय पत्र जारी किया जाएगा।

ग्रामीण व्यवसायियों की आजिविका का आधार

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

पथ विक्रेता–स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएं उचित मूल्य पर ग्रामीण जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हें रेहड़ी वाला, साइकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसे/कचोरी, ब्रेड–बिस्किट, मुर्गी–अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते–चप्पल, झाड़ू आदि विक्रय किए जाते हैं। इन व्यवसायी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कोविड–19 महामारी के कारण हुई तालाबंदी की वजह से इन व्यवसाईयों की आजीविका पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा है। यह अत्यंत कम पूंजी से कार्य करते हैं और इस अवधि में इस पूंजी का उपभोग कर लिया गया होगा। अत: आवश्यक है कि इन व्यवसाइयों को व्यापार प्रारंभ करने हेतु तत्काल कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना संचालित की जा रही है –

उद्देश्य

यह एक राज्य पोषित योजना होगी जिसके निम्नांकित उद्देश्य हैं :–

(क) रु. 10 हजार तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

(ख) नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना।

(ग) उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग।

कार्य क्षेत्र : यह योजना मध्य प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी।

व्यवसायी का प्रकार : ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्यापारी।

अर्हता : योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पात्र उद्यमियों एवं प्रवासी श्रमिकों को लिए देय होगा।

जिनकी –आयु 18 – 55 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता कोई बंधन नहीं

आय श्रेणी : प्रदेश के प्रवासी श्रमिक/एसइसीसी 2011 के वंचित परिवार/ग्राम पंचायत सर्वेक्षण के पात्र परिवार/ आजीविका मिशन या तेजस्विनी समूह सदस्य अथवा समूह परिवार के सदस्य राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अन्त्योदक/ प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्ड धारी)

जाति/वर्ग कोई बंधन नहीं

वित्तीय प्रावधान : परियोजना लागत रु. 10 हजार (बैंक से ऋण)

ब्याज अनुदान : मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान का व्यय किया जाएगा। यह राहत समय पर एवं नियमित रूप से ऋण चुकाने पर ही बैंक को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।

योजना अवधि : जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक

पंजीयन : कामगार सेतु पोर्टल पर http://kamgarsetu.mp.gov.in/ लिंक से केवल ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा।

पात्र परियोजना : केश शिल्पी, पथ विक्रेता, हाथठेला चालक, साईकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, सायकल/मोटर सायकल रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मण्डल से संबंधित व्यवसाय, अथवा जिला स्तर पर जिला समिति द्वारा निर्धारित व्यवसाय आदि।

क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत निर्धारित पात्रता वाले आवेदकों को लाभांवित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के युवाओं की स्वरोजगार स्थापना में सहयोगी

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश में पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 जनवरी, 2022 से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। योजना के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं :-

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय/उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध करवाना है।

योजना का क्रियान्वयन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही से निम्नानुसार पात्रताएं अपेक्षित हैं :-

1. योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा। योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो मध्यप्रदेश सीमा के अंदर स्थापित हों।
2. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
3. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
4. आवेदक न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
5. परिवार की वार्षिक आय रुपए 12 लाख से अधिक न हो। आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अगर आयकर दाता है तो वह उनकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां (इनकम टैक्स रिटर्न्स) आवेदन के साथ संलग्न करेगा।
6. आवेदक स्वयं किसी बैंक और अन्य किसी वित्तीय संस्था जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स (एमएफआई), नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (एनबीएफसी), स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी), प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी (पीएसीएस) इत्यादि का डिफाल्टर ना हो।
7. आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।
8. आवेदक सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

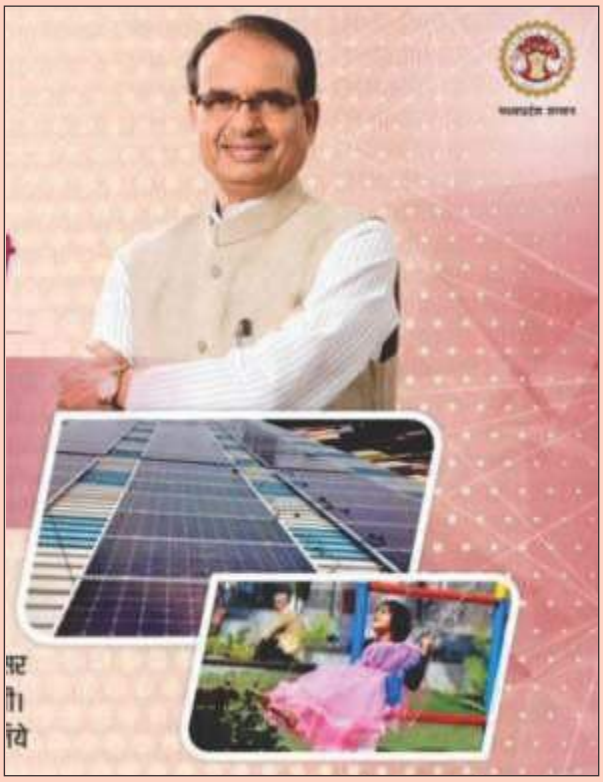

पात्र परियोजनाएं

1. उद्योग (विनिर्माण Manufacturing) इकाई के लिए राशि रुपए एक लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं।
2. सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु राशि रुपए एक लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं।
3. उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजनाएं जो Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए भी पात्र हों।

पात्र बैंक

योजनांतर्गत आवेदन उन्हीं पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए जा सकेंगे, जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) हैं।

वित्तीय सहायता

योजनांतर्गत वित्तीय सहायता हेतु निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित हैं

1. योजनांतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा योजना प्रारंभ होने के उपरांत वितरित ऋणों (Term Loan & Working Capital Loan) के सम्बन्ध में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), दिया जाएगा।
2. जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता Default/ NPA बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान सहायता देय नहीं होगी।
3. ब्याज अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी।
4. योजनांतर्गत ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्रों का निराकरण

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारतरत की गई है :-

1. आवेदक से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहपत्रों सहित प्राप्त, आवेदन, पात्रता इत्यादि के परीक्षण उपरान्त सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित किया जाएगा।

2. बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा।

3. आवेदन यदि अपूर्ण है अथवा उसमें कोई सहपत्र संलग्न नहीं है, तो बैंक/जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा तत्काल कारण सहित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक तथा सक्षम विभागीय अधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिसे आवेदक त्रुटि सुधार कर पुनः बैंक/जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को भेज सकेगा।

4. एक बैंक द्वारा आवेदन अमान्य (Reject) किए जाने पर आवेदक अन्य किसी बैंक में आवेदन कर सकेगा।

5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित राशि रुपए 10 लाख से कम की परियोजना के लिए सामान्य परियोजना प्रतिवेदन (Simple Project Report) प्रपत्र-1 में (उद्योग/सेवा हेतु) अथवा प्रपत्र-2 में (व्यवसाय हेतु) तैयार कर आवेदन आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना राशि रुपए 10 लाख या अधिक है तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

6. आवेदन एक ही वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक को नया आवेदन करना होगा।

7. आवेदक का ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर ऋण वितरण प्रारम्भ किया जाएगा तथा पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

8. उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय इकाई के लिए बैंक ऋण की गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के माध्यम से दी जाएगी एवं बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जाएगी।

समीक्षा समिति

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन, सहायता प्राप्त उद्यमी की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं आदि विषयों की समीक्षा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समीक्षा समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी :-

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	आयुक्त, नगर निगम या उनके प्रतिनिधि	सदस्य

4.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
5.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
6.	प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
7.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र	सदस्य सचिव

टीप : आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

9. निर्धारित वार्षिक वित्तपोषण के लक्ष्य के 1.25 गुना तक नए आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जाएंगे, जिनका पूर्ण उपयोग होने पर पुन: उक्त सीमा में और आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र.आवेदन प्राप्त किए जाने की सीमा को परिवर्तित करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रशिक्षण

जिन हितग्राहियों ने पूर्व में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो उन्हें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से दिया जाएगा।

वित्तीय प्रवाह

1. बैंक द्वारा ऋण वितरण दिनांक से एक वर्ष (मॉरिटोरियम अवधि सहित) पूर्ण होने पर बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान की राशि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जाएगी।

   (**नोट :** उपरोक्तानुसार ऋण वितरण दिनांक के पश्चात जिस माह में एक वर्ष पूर्ण हो रहा है, उस माह की अंतिम तारीख की स्थिति में बैंक द्वारा हितग्राही के ब्याज अनुदान की राशि पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जाएगी।)

2. उपरोक्तानुसार बैंक द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक आधार पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान राशि (मोरेटोरियम अवधि सहित), पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जा सकेगी।
3. जिस अवधि में हितग्राही का ऋण खाता Default/NPA रहता है, उस अवधि का उल्लेख पोर्टल में बैंक शाखा द्वारा दर्ज किया जाएगा तथा इस अवधि के लिए ब्याज अनुदान, बैंक शाखा द्वारा वार्षिक क्लेम में नहीं जोड़ा जाएगा।
4. ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के अंतर्गत हितग्राही का गारंटी शुल्क अनुदान बैंक शाखा द्वारा यथा समय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम (अधिकतम 7 वर्षों तक, मोरेटोरियम अवधि सहित) किया जाएगा।
5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा बैंक शाखाओं के माध्यम से ऑनलाइन पात्र हितग्राहियों के ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE अनुदान की राशि को हितग्राही के ऋण खाते में (टर्म लोन अकाउंट या वर्किंग केपिटल लोन अकाउंट जिसे संबंधित बैंक शाखा उचित समझे) सीधे हस्तांतरित (DBT) किया जाएगा।
6. अनुदान दावों के भुगतान (Subsidy Claim-Settlement) के लिए राज्य स्तरीय मुख्यालय पर नोडल बैंक में संधारित पूल खाते में अधिकतम राशि रुपए 25 करोड़ अग्रिम तौर पर उद्योग संचालनालय म.प्र. द्वारा जमा की जाएगी।
7. पोर्टल के माध्यम से अनुदान भुगतान के लिए महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अधिकृत होंगे।

वार्षिक लक्ष्य निर्धारण

1. योजनांतर्गत प्रावधानित बजट अनुसार वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
2. उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा बैंकों से जिलेवार वार्षिक वित्तीय लक्ष्य, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वय से निर्धारित किए जाकर बैंकों/जिला कार्यालयों को संसूचित किए जाएंगे।

विविध

1. योजना अंतर्गत भागीदारी (Partnership) के प्रकरण भी पात्र होंगे, परन्तु समस्त भागीदारों को योजनान्तर्गत आवेदक के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। भागीदारों को सहायता उद्यम के मान से दी जाएगी।
2. योजना की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण हेतु उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय मप्र, सक्षम होंगे।
3. योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु क्रय किए गए समस्त प्रकार के वाहनों का आरटीओ पंजीयन व्यवसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा हितग्राही को शासन की वित्तीय सहायता (ब्याज अनुदान/CGTMSE शुल्क) प्राप्त नहीं होगी।
4. योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित किसी गतिविधि

पर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय मप्र द्वारा उचित कारण होने पर रोक लगाई जा सकती है अथवा किसी गतिविधि को योजना से जोड़ा जा सकता है।

5. योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय के उद्यम स्थापित किए जाने का उद्देश्य है, अत: कृषि आधारित/अनुषांगिक गतिविधियों के प्रकरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जैसे – पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि।
6. बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत किए जाने पर वह हितग्राही से नियमानुसार अंशदान (मार्जिन मनी) जमा करा सकेगा।
7. योजनांतर्गत हितग्राही के ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE शुल्क अनुदान की अंतिम किस्त भुगतान होने के पूर्व यदि हितग्राही का ऋण खाता (टर्म लोन अकाउंट तथा वर्किंग केपिटल लोन अकाउंट दोनों) बंद हो जाता है तब ऐसी स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान महाप्रबंधक द्वारा पोर्टल में दर्ज हितग्राही के बचत खाते अथवा चालू खाते में किया जा सकेगा।
8. हितग्राही का खाता Default/NPA होने की स्थिति में Default/NPA होने से पूर्व की देयताओं (ब्याज/CGTMSE अनुदान) का भुगतान बैंक के ऑफिस अकाउंट में किया जा सकेगा ताकि सम्बंधित बैंक हितग्राही के लोन खाते में इस राशि को समायोजित कर सके।
9. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनांतर्गत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों में, पात्र होने पर स्वीकृति की दशा में वितरित किए जाने वाले ऋण को बैंक शाखाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत भी कनवर्ज (Converge) कर सकती हैं।

परिभाषाएं :

1. पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
2. परियोजना में उपयोग किए जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी/उपकरण का मूल्य पूंजीगत लागत है। परियोजनांतर्गत भूमि का मूल्य शामिल नहीं होगा तथा भवन में निवेश, मशीन/उपकरण लागत के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. CGTMSE से अभिप्राय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस से है।

परिवार से आशय

1. आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता–पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा
2. आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।
3. बैंक से आशय पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जो CGTMSE अंतर्गत पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) हैं।

प्रपत्र - 1

सामान्य परियोजना प्रतिवेदन

(Simple Project Report)

(रु. 10 लाख से कम की उद्योग/सेवा परियोजना हेतु)

1. आवेदक का पूरा नाम .....
2. उद्योग/सेवा उद्यम का नाम व पता

   .....

   .....
3. उत्पाद/सेवा का नाम, परिचय एवं बाजार में मांग की संभावना

   .....

   .....
4. प्रस्तावित क्षमता (मासिक)

   .....

क्र.	नाम वस्तु/सेवा कार्य	परिमाण (Quantity)	मूल्य
1.			
2.			
3.			
		योग =	

पूंजी विनियोजन (Capital Appropiation) :

अ. स्थिर पूंजी

(i) भूमि .....

(ii) भवन (स्वयं की/किराए पर)

.....

(iii) मशीन, उपकरण एवं साज-सज्जा

.....

ब. कार्यशील पूंजी

(i) कच्चा माल

क्र.	कच्चे माल का नाम	परिमाण (Quantity)	मूल्य
1.			
2.			
3.			
		योग=	

(ii) वेतन एवं मजदूरी

क्र.	विवरण	संख्या	अनुमानित वेतन
1.	प्रबंधक		
2.	कुशल कारीगर		
3.	अकुशल कारीगर		
4.	अन्य		
			योग =

(iii) अन्य व्यय

क्र	विवरण	अनुमानित व्यय
1.	ऑफिस/स्टेशनरी/विज्ञापन	
2.	विद्युत/पानी	
3.	किराया	
4.	अन्य आकस्मिक व्यय	
		योग =

6. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii+iii) .....

7. उत्पादन लागत प्रतिमाह

(i) कार्यशील पूंजी .....

(ii) मशीन आदि पर घिसावट (+) .....
(स्थिर पूंजी का 10 प्रतिशत)

(iii) कुल पूंजी पर ब्याज (+) .....

योग =

8. लाभ/हानि प्रतिमाह

(i) सेवा /उत्पादन विक्रय से आय (+) .....

(ii) उत्पादन लागत (-) .....

शुद्ध लाभ=

9. वित्तीय आवश्यकताएं

(i) स्थिर पूंजी हेतु

(ii) कार्यशील पूंजी हेतु

योग =

10. आवश्यक वित्तीय प्रबंध

(i) स्वयं का अंशदान (मार्जिन मनी)

(ii) बैंक से ऋण

योग =

11. ऋण पुनर्भुगतान अवधि

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - 2

सामान्य परियोजना प्रतिवेदन

(Simple Project Report)

10 लाख से कम की खुदरा व्यवसाय **(Retail Trade)**, परियोजना हेतु

.1. आवेदक का नाम व पता .....

.....

2. व्यवसाय का नाम व पता .....

.....

3. प्रस्तावित व्यवसाय की संभावना .....

4. पूंजी विनियोजन (Capital Appropiation) :-

अ. स्थिर पूंजी

(i) भूमि .....

(ii) भवन (स्वयं की/किराए पर) .....

(iii) दुकान एवं साज-सज्जा .....

क्र	विवरण	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
			योग =

ब. कार्यशील पूंजी

(i) व्यवसाय हेतु सामग्री

क्र	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
			योग

(ii) अन्य व्यय

क्र	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस/स्टेशनरी/विज्ञापन/पोस्टेज	
2	विद्युत/पानी	
3	किराया	
4	मजदूरी	
5	अन्य आकस्मिक व्यय	
6	पूंजी पर ब्याज आदि	
		योग =

5. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii+iii)

6. लाभ/हानि प्रतिमाह .....

(i) सेवा/उत्पादन विक्रय से आय (+)

(ii) उत्पादन लागत (-)

शुद्ध लाभ

7. वित्तीय आवश्यकताएं

(i) स्थिर पूंजी हेतु

(ii) कार्यशील पूंजी हेतु

योग

8. आवश्यक वित्तीय प्रबंध

(i) स्वयं का अंशदान (मार्जिनमनी)

(ii) बैंक से ऋण

योग

9. ऋण पुनर्भुगतान अवधि

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रोत्साहित करने हेतु कला उत्सव का आयोजन किया गया है।

ई-कामर्स

- बोर्ड द्वारा कबीरा खादी ब्राण्ड के रेडीमेड वस्त्रों एवं विन्ध्यावैली ब्राण्ड के एफ.एम.सी.जी. उत्पादों का ऑनलाईन विक्रय ई-कॉमर्स पोर्टल अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के माध्यम से विक्रय प्रारंभ किया गया है।

आत्म निर्भर मध्य प्रदेश

- प्रदेश में खादी उत्पादन को बढावा दिए जाने के उद्देश्य से इस वर्ष 2021 में इन्दौर एवं देवास जिले में नवीन खादी उत्पादन केन्द्र के माध्यम से खादी वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ किया गया है।
- मॉडर्न ट्रेड के अतंर्गत विन्ध्यावैली उत्पादों को सुपर मार्केट "प्रियदर्शनी" के माध्यम से भी विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया है ।
- वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 21 तक 24 नवीन इकाईयों को विध्यावैली ब्राण्ड से जोड़ा गया है एवं 9 सुपरडिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए गए है। विंध्यावैली ब्राण्ड अतंर्गत वर्तमान में कुल 110 इकाईयां सम्बद्ध हैं तथा 550 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जंयती पर कबीरा खादी ब्राण्ड अंतर्गत वर्तमान फैशन एवं बाजार की मांग के अनुरूप खादी के रेडीमेड वस्त्र तैयार करवाए जाकर आमजन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कबीरा खादी ब्राण्ड के रेडीमेड वस्त्रों की श्रृंखला के अतंर्गत कढ़ाई वाले कबीरा गारमेंटस तथा 15 नवीन डिजाईन वाले लेडीज कुर्तों की लांचिग की गई।
- राष्ट्रीय चरखा खादी उत्सव प्रदर्शनी में विन्ध्यावैली ब्राण्ड अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 10 नए उत्पादों की लांचिग की गई। वर्तमान में लगभग 120 एफ.एम.सी.जी. उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध हैं ।
- एक जिला एक उत्पाद योजनांतर्गत दतिया जिले में गुड़ उत्पादन की 4 उत्पादन इकाईयों के प्रस्ताव बैंकों में स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए ।
- बैतूल जिले की दो गुड़ उत्पाद इकाईयों को, मुरैना जिले की 02 शहद उत्पादक इकाई को विन्ध्यावैली ब्राण्ड से जोड़ा जाकर विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

□ **श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव,** आईएएस,
प्रबंध संचालक,
मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

पुरस्कार वितरण के साथ सम्पन्न हुआ नेशनल हैंडलूम एक्सपो

भोपाल, रविवार, जनवरी 9, 2022। राजधानी भोपाल स्थित भोपाल हाट में नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। संत रविदास खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक **श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव** ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए एक्सपो का आयोजन 26 दिसंबर 2021 से 9 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया। प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने कहा कि हैंडलूम एक्सपो ने सभी के मध्य चेतना जागृत करने का काम किया है। जब हम कोई भी हैंडलूम प्रोडक्ट की खरीदी करते हैं, तो उससे अपनी प्राचीन कला एवं बुनकरों को प्रोत्साहान मिलता है। मेले के दौरान कोरोना की कुछ दुश्वारियां थीं, उसके बावजूद भी मेले को नागरिकों ने अच्छा रिस्पांस दिया है।

समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें स्कूली छात्र-छात्राओं, बुनकरों एवं परिधान डिजाइन से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों के स्टूडेंट्स प्रमुख रूप से शामिल थे। एक्सपो में रंगोली प्रतियोगिता में 19 प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें प्रथम पुरस्कार आनंद विद्या स्कूल की छात्रा **कु. रिद्धिमा अग्रवाल** को, द्वितीय पुरस्कार आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र **मुकेश सिंह** को और तृतीय पुरस्कार अंकुर हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा **कु. महक साहू** को दिया गया। विजेताओं को नगद राशि और सम्मान-पत्र दिए गए। स्टॉल डिस्प्ले प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार कु. प्रीति मालवीय, कु. ट्विंकल, कु. खुशी मेहता के समूह ने जीता। द्वितीय पुरस्कार कु. कान्ति, कु. मेधा मालवीय कु. तनु चक्रवर्ती एवं कु. दीपिका साहू को दिया गया। विजेताओं को नकद राशि और सम्मान-पत्र प्रदान किए गए। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को भी सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की अभिनव योजनाएं

कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम

- कुटीर एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
- कौशल विकास कार्यक्रम संचालन नियम–2015 के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं में से छानबीन समिति द्वारा चयनित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।
- प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को योग्यता अनुसार प्लेसमेंट अथवा बोर्ड द्वारा संचालित स्वरोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
- कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत युवाओं को विभिन्न ट्रेडों जैसे – फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट मेकिंग, लेदर गुड्स, कम्प्यूटर रिपेयरिंग/ हार्डवेयर, कम्प्यूटर डाटा एंट्री, कम्प्यूटर एकाउंटिंग विथ टेली, घरेलू उपकरण मरम्मत, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सोलर संयंत्र स्थापना एवं मरम्मत, दोना पत्तल, टू–व्हीलर मरम्मत, एवं फोर व्हीलर मेकेनिक/ड्रायविंग आदि प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। कौशल विकास योजनांतर्गत 775 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विपणन/प्रचार-प्रसार

- मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय हेतु 14 विक्रय एम्पोरियम/ विक्रय काउंटर संचालित हैं। वर्तमान बाजार की मांग एवं फैशन के अनुरूप खादी के रेडीमेड वस्त्रों का विक्रय **"कबीरा ब्राण्ड"** अन्तर्गत आम जन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश में सूती खादी, ऊनी खादी, रेशमी खादी, पोली खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों के कुल 14 उत्पादन केन्द्र संचालित है।
- प्रदेश में खादी उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इन्दौर एवं देवास जिले में नवीन खादी उत्पादन केन्द्र के माध्यम से खादी वस्त्र का उत्पादन प्रारंभ किया गया है।
- अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की पहचान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात हेतु "इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड" (आई ई सी) प्राप्त किया गया है।
- प्रदेश के स्व–सहायता समूहों, स्वरोजगार मूलक योजनाओं में वित्तपोषित इकाईयों द्वारा उत्पादित एफ.एम.सी.जी. उत्पादों को "विन्ध्यावैली ब्राण्ड" अन्तर्गत विक्रय हेतु बोर्ड द्वारा विन्ध्यावैली ब्राण्ड का संचालन किया जा रहा है।

अन्य कार्यक्रम एवं गतिविधियां

- आजादी का अमृत महोत्सव
- प्रदेश में कत्तिन, बुनकर एवं अन्य कारीगरों को सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भोपाल में राष्ट्रीय स्तर के चरखा खादी उत्सव का आयोजन अक्टूबर, 2021 में किया गया। इसमें 11 राज्यों से खादी संस्थाओं द्वारा 110 दुकानें लगाई जाकर ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय किए गए।
- रेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर रेलवे स्टेशनों पर स्वतत्रंता दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2021–22 में पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 28 जिलों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ।
- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य विभागों द्वारा आयोजित लगभग 15 अन्य मेले एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता की गई है ।
- मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रथम बार मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली में प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट और

छोटे उद्यमियों को बड़ी मदद

मुद्रा योजना से कैसे उठाएं लाभ

यह सर्वविदित है कि बड़े उद्योगों के पास ऋण लेने एवं पूंजी जुटाने के अनेक साधन होते हैं, जबकि छोटे उद्यमी इससे वंचित रहते हैं और चाहते हुए भी अपने उद्यम, व्यापार का विस्तार नहीं कर पाते हैं। इन्हीं छोटे उद्यमियों जैसे दूध विक्रेता, दस्तकार, बुनकर, पंसारी, फूल विक्रेता, धोबी और समाचारपत्र विक्रेता आदि जैसे छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहयोग सुलभ कराने के उद्देश्य से मुद्रा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत रु.50 हजार से लेकर रु.10 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा की गई थी। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी और एक गैर बैंकिंग वित्त के रूप में 07 अप्रैल 2015 को आरबीआई के साथ संस्था मुद्रा पंजीकृत की गई। मुद्रा को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 08 अप्रैल 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में द्वारा शुरू किया गया था।

इस लेख में प्रस्तुत है, मुद्रा योजना क्या है?, इसे क्यों शुरू किया गया है? और इससे कौन व कैसे लाभ उठाया जा सकता है, आदि जैसे सामान्य प्रश्नों के जवाब :-

1. मुद्रा क्या है?

मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी लि. सूक्ष्म इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा गठित एक नयी संस्था है। इसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2016 का बजट पेश करते हुए की थी। मुद्रा का उद्देश्य गैर निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र को अंतिम छोर पर स्थित विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंकों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से निधिपोषण उपलब्ध कराना है।

2. मुद्रा का गठन किसलिए किया गया है?

गैर-निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र (एनसीएसबीएस) में उद्यमिता के विकास की सब से बड़ी बाधा है क्षेत्र को वित्तीय सहायता का उपलब्ध न होना। इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से को औपचारिक स्रोतों से वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता। भारत सरकार ने एक सांविधिक अधिनियमन के अंतर्गत मुद्रा बैंक की स्थापना की है, ताकि एनसीएसबीएस घटक अथवा अनौपचारिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। जब तक मुद्रा लि. के

रुप में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना के लिए मुद्रा बैंक हेतु अधिनियम पारित नहीं हो जाता तब तक इसे सिडबी की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

3. ***मुद्रा की भूमिका तथा दायित्व क्या होंगे ?***

मुद्रा अंतिम छोर पर स्थित उन सभी वित्तपोषकों, जैसे लघु व्यवसायों के वित्तपोषण में संलग्न विभिन्न प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, धारा 8 (पूर्ववर्ती धारा 25) की कंपनियों, सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा–गतिविधियों में लगी सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण प्रदान करते हैं। यह बैंक राज्य/क्षेत्रीय स्तर के मध्यवर्ती समन्वयकों के साथ भागीदारी करेगा, ताकि लघु/सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों के अंतिम छोर पर स्थित वित्तपोषकों को वित्त उपलब्ध कराया जा सके।

4. ***मुद्रा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ? मुद्रा कैसे कार्य करेगा ?***

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में, मुद्रा ने पहले से ही अपने प्रारंभिक उत्पाद/ योजनाएं तैयार कर ली हैं। इन पहलकदमियों को शिशु, किशोर तथा तरुण नाम दिए गए हैं, जो वृद्धि/विकास के चरण और लाभग्राही सूक्ष्म इकाई /उद्यमी की निधिक आवश्यकताओं के द्योतक हैं। साथ ही वे विकास/वृद्धि के अगले चरण का भी बोध करता है। इनकी सीमाएं निम्नवत हैं–

क. **शिशु :** 50,000/– तक के ऋण हेतु

ख. **किशोर :** 50,000/– से अधिक तथा 5 लाख तक के ऋण हेतु

ग. **तरुण :** 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण हेतु

मुद्रा की ऋण–प्रदायगी प्रणाली इस प्रकार परिकल्पित है, जिसमें मुख्यतया बैंकों/गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ अल्प वित्त संस्थाओं के जरिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा।

साथ ही, जमीनी स्तर पर वितरण चैनल का विकास तथा विस्तार करने की भी आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में, कंपनियों, न्यासों, समितियों, संघों तथा अन्य नेटवर्कों के रूप में पहले से ही बड़ी संख्या में अंतिम छोर के वित्तपोषक मौजूद हैं, जो लघु व्यवसायों को अनौपचारिक वित्त उपलब्ध करा रहे हैं।

5. ***मुद्रा के लक्ष्य ग्राहक कौन हैं / किस प्रकार के उधारकर्ता मुद्रा से सहायता पाने के पात्र हैं ?***

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय

मुद्रा योजना का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए : श्री पी. नरहरि

उद्योग आयुक्त श्री पी. नरहरि ने दिए सभी डीआईसी को निर्देश

भोपाल, गुरूवार, अक्टूबर 28, 2021 । *मुख्यमंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** की युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने की मंशा अनुरूप प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में अधिक से अधिक हितग्राहियों को मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश सभी जिला उद्योगकार्यालयों को उद्योग आयुक्त **श्री पी.नरहरि** ने दिए हैं। उद्योग आयुक्त श्री नरहरि ने बताया कि इसमें युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। युवा वर्ग ऋण लेकर सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से न केवल आजीविका कमाता है वरन् रोजगार प्रदाता बनता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और क्षेत्र का विकास होता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केन्द्र सरकार की लोकप्रिय और व्यापक स्वरोजगार योजना है। जिसमें गैर कार्पोरेट कारोबार से आय के लिये लोगों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिये 50 हजार से 10 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना में वाणिज्यिक बैंक, आर.आर.बी, एम.एफ.आई, एन.बी.एफ.सी और लघु वित्त बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण दिये जाते हैं।*

घटक (एनसीएसबीएस), जिनमें ऐसी लाखों प्रोप्राइटरशिप/ पार्टनरशिप फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं।

6. ***क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) मुद्रा से सहायता हेतु पात्र हैं ?***

जी हाँ, मुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी तरलता बढ़ाने के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराएगा।

7. ***मुद्रा द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर क्या है ?***

मुद्रा एक पुनर्वित्त संस्था होगी, जो अंतिम छोर के वित्तपोषकों को निधियां उपलब्ध कराएगी, ताकि वे इस क्षेत्र को वित्तपोषण उपलब्ध करा सकें। ग्राहक के लिए मुद्रा की सबसे अनूठी मूल्यवत्तापूर्ण अवधारणा होने जा रही है - उचित मूल्य पर वित्त तक आसान पहुँच। अंतिम ऋणकर्ता के लिए निधि की लागत को कम करने हेतु मुद्रा वित्तीयन के कई प्रकार के नवोन्मेषी उपाय करेगा।

8. ***मेरा कागज के सामान का एक छोटा-सा व्यवसाय है। क्या मुद्रा मेरी सहायता कर सकता है ?***

ऐसी गतिविधियों के लिए बैंकों/ गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों/ अल्प वित्त संस्थाओं के माध्यम से मुद्रा ऋण उपलब्ध है। सभी प्रकार की विनिर्माण, ट्रेडिंग तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए मुद्रा ऋण लिया जा सकता है। ऋणों को शिशु, 'किशोर', तथा 'तरुण' ऋण के रुप में वर्गीकृत किया गया है। ये उत्पाद उद्यम-जगत के निचले सिरे पर परिचालनरत ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाए गए हैं। ये ऋण अल्प वित्त संस्थाओं, एनबीएफसी, बैंकों, आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. ***मैंने हाल ही में स्नातक की परीक्षा पास की है। मैं अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करना चाहता हूँ। क्या मुद्रा मेरी सहायता कर सकता है ?***

मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में उपलब्ध है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के छोटे ऋण तथा किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराता है। तरुण श्रेणी के अंतर्गत यह 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक के ऋण भी उपलब्ध कराता है। आपकी व्यवसाय की प्रकृति तथा परियोजना की जरुरत के अनुसार आप मुद्रा की किसी भी मध्यवर्ती संस्था से मानदंडों के अनुरूप वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

10. ***मेरे पास खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है। मैं अपनी स्वयं की इकाई आरंभ करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।***

खाद्य प्रसंस्करण मुद्रा की योजनाओं के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र गतिविधि है। आप अपनी आवश्यकतानुसार मुद्रा की योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण हेतु किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था, अल्प वित्त संस्था, गैर बैंकिंग कंपनियों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में आगे बढ़ेगा मध्यप्रदेश: श्री शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, शनिवार, अक्टूबर 9, 2021। ***मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान*** *ने शनिवार 9 अक्टूबर, 2019 को मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की योजनाओं पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री* ***श्री नरेंद्र मोदी*** *ने मुद्रा योजना के अंतर्गत युवाओं को लाभान्वित करने का आव्हान किया है। वर्तमान में प्रदेश के 14 लाख से अधिक व्यक्तियों को 8 हजार 905 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। शिशु, किशोर और तरुण तीन श्रेणियों में लाभार्थी को ब्याज अनुदान सहायता प्राप्त होती है। योजना में 50 हजार से 10 लाख रूपए की राशि के ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में गति बढ़ाने के लिए बैंकों के समन्वय से प्रयास तेज करने की जरूरत बताई। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण की पीएम स्वनिधि योजना, स्व-सहायता समूहों को राशि उपलब्ध करवाने और नवीन योजना के माध्यम से अधिकाधिक शिक्षित युवाओं को लाभान्वित करने के संयुक्त प्रयास किए जाएं।*

11. ***मैं जरी के काम में दक्ष एक दस्तकार हूँ। मैं दूसरों के लिए जॉब वर्क करने के बजाय अपना स्वयं का काम शुरू करना चाहता हूँ। क्या मुद्रा मेरी सहायता कर सकता है?***

आप अपने उद्यम की स्थापना हेतु अपने क्षेत्र में कार्यरत किसी भी अल्प वित्त संस्था के माध्यम से मुद्रा की अल्प ऋण योजना की शिशु श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

12. ***मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ तथा अपना खुद का ब्रांड विकसित करना चाहती हूँ। मुद्रा मेरी क्या सहायता कर सकता है?***

मुद्रा महिला उद्यमियों हेतु महिला उद्यम निधि नामक एक विशेष योजना संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत सभी तीन श्रेणियों यानी 'शिशु', 'किशोर' एवं 'तरुण' के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। अल्प वित्त संस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋण लेने वाली महिला ऋण कर्ताओं को ब्याज दर में 25 बीपीएस की छूट मिलेगी।

13. ***मैं फ्रैन्चाइजी मॉडल पर काम करना चाहता हूँ और अपना एक आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहता हूँ। क्या मुद्रा मेरी सहायता कर सकता है?***

मुद्रा व्यवसायियों तथा दुकानदारों हेतु व्यवसाय ऋण नामक एक विशेष योजना संचालित करता है। आप इस योजना के अंतर्गत अपनी आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र के किसी बैंक / अल्प वित्त संस्था / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

14. ***मेरा पॉटरी का व्यवसाय है। मैं और अधिक वरायटी और डिजाइनें शामिल करके इसका विस्तार करना चाहता हूँ। मुझे मुद्रा से क्या सहायता मिल सकती है?***

आप अपने उद्यम की स्थापना हेतु अपने क्षेत्र में कार्यरत किसी भी अल्प वित्त संस्था के माध्यम से मुद्रा की अल्प ऋण योजना की शिशु श्रेणी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

15. ***प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का दायरा क्या है? इसके अंतर्गत किस-किस प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं? कौन-सी एजेंसियाँ ऋण प्रदान करेंगी?***

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जैसे पीएसयू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध होगी। 08 अप्रैल 2015 के बाद से गैर-कृषि क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख तक के सभी ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा।

16. ***प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करेगा?***

राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निगरानी राज्यस्तरीय बैंकर समिति के जरिए और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा/ वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इस उद्देश्य हेतु मुद्रा ने एक पोर्टल विकसित किया है, जिसमें बैंक तथा अन्य ऋणदात्री संस्थाएं सीधे अपनी उपलब्धि के विवरण भरेंगी। इसे सिस्टम द्वारा समेकित किया जाता है और समीक्षा के लिए रिपोर्टें जनरेट की जाती हैं।

17. ***क्या केन्द्र/ राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना है, जो पूरे भारत पर लागू है और जिसमें बिना गारंटी / गारंटर तथा पहचान की जांच के बिना ऋण दिया जाता है?***

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की योजना है, जो छोटे उधारकर्ताओं को गैर-कृषि, आय-अर्जक गतिविधियों के लिए बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 10 लाख तक के ऋण लेने की सुविधा देती है। आम तौर पर, बैंकों द्वारा सूक्ष्म/ लघु उद्यमों को 10 लाख तक के ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के जारी किए जाते हैं।

18. ***क्या बढ़ई गिरी और आरओ वॉटर प्लाण्ट इन्स्टालेशन, ऋण के लिए पात्र हैं? यदि हाँ, तो ऋण की अधिकतम और न्यूनतम राशि क्या है?***

बढ़ई गिरी और व्यावसायिक स्तर के आरओ वॉटर प्लाण्ट इन्स्टालेशन मुद्रा ऋण के अन्तर्गत पात्र गतिविधियां हैं, बशर्ते ऋण राशि 10 लाख से कम हो। मुद्रा ऋण की प्राथमिक शर्त यह है कि वह विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि के लिए होना चाहिए तथा ऋण राशि 10 लाख से कम होनी चाहिए।

19. ***मुद्रा ऋण लेने के लिए व्यक्तियों की पात्रता क्या है?***

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र वाली व्यवसाय योजना हो और जिसकी ऋण-आवश्यकता 10 लाख से कम हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अन्तर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, अल्प वित्त संस्था अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है। पीएमएमवाई के अन्तर्गत ऋण लेने के लिए ऋणदात्री एजेंसी के सामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन

करना पड़ सकता है। उधार-दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार होती हैं।

20. क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अन्तर्गत कोई सब्सिडी है? यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जानेवाले ऋणों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। यदि ऋण-प्रस्ताव सरकार की किसी ऐसी योजना से संबद्ध हो, जिसमें सरकार पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, तब भी वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र होगा।

21. कृपया मुद्रा का संक्षिप्त परिचय दें।

मुद्रा का पूरा नाम है- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी लि.। यह एक पुनर्वित्त एजेंसी है न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था। मुद्रा अपनी ऐसी मध्यवर्ती संस्थाओं जैसे- बैंकों/ अल्प वित्त सस्थाओं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो गैर कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधियों को उधार देने का व्यवसाय करती हैं और जो पुनर्वित्त पाने के पश्चात् लाभग्राहियों का वित्तपोषण करेंगी।

22. क्या आप मुद्रा कार्ड के बारे में जानकारी दे सकते हैं?

मुद्रा कार्ड एक नवोन्मेषी ऋण उत्पाद है, जिसमें उधारकर्ता बिना किसी झंझट के और लचीले तरीके से उधार ले सकता है। यह उधारकर्ता को सीसी/ओडी के रूप में कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करेगा। चूंकि मुद्रा कार्ड रुपे डेबिट कार्ड होगा, इसलिए यह एटीएम से या बिजनेस करेस्पॉण्डेंट से नकद राशि निकालने अथवा विक्रय-बिन्दु मशीन इस्तेमाल करके खरीद करने में इस्तेमाल हो सकता है। जब कभी धन की बचत हुई हो तब राशि लौटाने की सुविधा भी है, ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके।

23. क्या कुम्हार समुदाय के लोगों को कुम्हारी का काम करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभ मिलेगा?

हाँ। मुद्रा योजना का उद्देश्य विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में सभी प्रकार की आय-अर्जक गतिविधियों को सहायता प्रदान करना है। इसमें अपने इलाके में कार्यरत किसी अल्प वित्त संस्था/ बैंक से अल्प ऋण योजना के अंतर्गत सहायता ली जा सकती है।

24. मुद्रा के अंतर्गत ऋण लेने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

ऋण के निबंधन और शर्तें ऋण देनेवाली संस्था और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के दायरे में रहकर निर्धारित की जाएंगी। आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में आप अपने इलाके की किसी भी ऋणदात्री संस्था से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

25. ऋण मंजूर न करने की दशा में बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए क्या पद्धति निर्धारित है?

मुद्रा ऋण नहीं दिए जाने के विरुद्ध शिकायतें संबंधित बैंक के उच्चतर प्राधिकारियों, जैसे क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक के यहां दर्ज कराई जा सकती हैं, बशर्ते ऋण मंजूर करने में बैंक के अधिकारियों की ओर से कोई चूक हुई हो।

26. क्या आप मुद्रा ऋणों के लिए जमा की जानेवाली प्रतिभूति के विवरण दे सकते हैं?

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना की समीक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल द्वारा की गई तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों के अनुसार बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान किए गए 10 लाख तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग न करें।

27. क्या मुद्रा ऋण के आवेदन के लिए कोई मानक प्रारूप है?

हाँ। शिशु श्रेणी के लिए एक पृष्ठ का आवेदन प्रारूप तैयार किया गया है, जो मुद्रा वेबसाइट पर उपलब्ध है। किशोर और तरुण श्रेणी के लिए 3 पृष्ठ का निदर्शी आवेदन प्रारूप तैयार किया गया है और वह भी मुद्रा की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

28. क्या आप मुद्रा के अंतर्गत ली गई सहायता से संबंधित चुकौती की शर्तों, पात्रता और कार्य-योजना का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं?

ऋण के निबंधन व शर्तें ऋणदात्री संस्था तथा भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होंगी। ऋणदात्री संस्था सिर्फ प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर ऋण-अनुरोध पर कार्रवाई करेगी। ऋण-राशि का निर्धारण आय-अर्जक गतिविधि की आवश्यकतानुसार होगा। चुकौती की शर्तें उद्यम के नकदी-प्रवाह तथा उधारकर्ता की पात्रता ऋणदात्री संस्था के मानदंडों के अनुसार निर्धारित होगी।

ऋण-राशि का निर्धारण आय-अर्जक गतिविधि की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। चुकौती की शर्तें उद्यम में होनेवाले नकदी प्रवाह के अनुसार होंगी और उधारकर्ता की पात्रता ऋणदात्री संस्था के मापदंडों के अनुसार निर्धारित होगी।

29. क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सभी बैंकों के लिए अखिल

भारतीय स्तर पर लागू है?

हां। वित्तीय सेवाएँ विभाग ने अपने 14 मई 2015 के पत्र के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लागू किए जाने और 08 अप्रैल 2015 के बाद आय-अर्जन के लिए मंजूर किए गए 10 लाख तक के सभी ऋणों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में शामिल करने की सलाह दी है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने बैंकों के प्रधान कार्यालयों को विभिन्न निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बैंक शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित करें और अपने अंचल/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को उनसे अवगत कराएँ।

30. क्या मुद्रा योजना के लिए जीवन बीमा की जरूरत पड़ती है?

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लिए जीवन बीमा की जरूरत नहीं है।

32. क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण लेने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी नहीं है। किन्तु उधारकर्ता को वित्तीय संस्था की 'ग्राहक को जानें' संबंधी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

33. मुद्रा ऋण में ब्याज-दर कितनी है?

ब्याज-दरें विनियमन-मुक्त कर दी गई हैं और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापक दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए उचित ब्याज दरें लगाएँ।

34. यदि ऋणदात्री संस्थाएँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण न दें तो ऋण पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

मामले को संबंधित बैंक के उच्चतर प्राधिकारी के साथ उठाया जा सकता है। आवेदक ऋण के लिए उसी क्षेत्र में कार्यरत किसी दूसरे बैंक अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था/ अल्प वित्त संस्था के पास जा सकते हैं।

35. कई जगहों पर सभी बैंक प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए दबाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए दबाव डालने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रतिभूति मांगने वाले बैंकों के विरुद्ध शिकायत कहाँ की जानी चाहिए?

किसी भी बैंक-शाखा के विरुद्ध शिकायत संबंधित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में दर्ज की जा सकती है। प्रत्येक बैंक की शिकायत समाधान प्रणाली बैंक शाखा में उपलब्ध होगी।

36. क्या विकलांग व्यक्ति भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के लिए पात्र हैं?

भारत का हर वह नागरिक मुद्रा ऋण ले सकता है जो ऋण लेने के लिए पात्र हो और जिसके पास आय अर्जक गतिविधि के लिए व्यवसाय-योजना हो। ऋण प्रस्ताव विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में नए सूक्ष्म व्यवसाय उद्यम की स्थापना/ पहले से विद्यमान उद्यम के उन्नयन के लिए होना चाहिए।

37. क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख के ऋण लेने के लिए पिछले 2 वर्ष की आय-कर विवरणियां जमा करना जरूरी है?

आम तौर पर छोटी राशि के ऋणों के लिए आय-कर विवरणियों पर बल नहीं दिया जाता। किन्तु संबंधित ऋणदात्री संस्थाएं अपेक्षित दस्तावेजों की जानकारी देंगी।

38. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना- शिशु ऋण के अंतर्गत प्रस्ताव पर कार्रवाई पूरी करके ऋण देने में कितना समय लगता है?

शिशु ऋण के अंतर्गत प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए पूरी सूचना मिलने पर सामान्यत: 7 से 10 दिन के भीतर ऋण दे दिया जाता है।

39. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, स्वामित्व-आधारित प्रतिष्ठान, भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा अन्य निकाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन का पात्र है।

40. क्या सीएनजी टेम्पो/टैक्सी की खरीद के लिए मुद्रा ऋण मिलता है?

यदि आवेदक सीएनजी टेम्पो/टैक्सी को सार्वजनिक परिवहन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसकी खरीद के लिए मुद्रा ऋण मिल सकता है।

41. क्या खादी के कार्य-कलाप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र हैं?

हां। मुद्रा ऋण उस प्रत्येक कार्य-कलाप पर लागू होते हैं, जिसके फलस्वरूप आय अर्जन होता हो। चूंकि खादी वस्त्र क्षेत्र के अंतर्गत पात्र गतिविधि है, इसलिए यदि मुद्रा ऋण आय अर्जन के लिए प्राप्त किए गए हों तो उनको शामिल किया जा सकता है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में मददगार

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जा रहा है, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधित निकाय है, और यह पूरे देश में इस योजना के लिए एकमात्र नोडल अभिकरण है। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (खा.ग्रा. बोर्ड), जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंक के द्वारा किया जा रहा है। योजना के संबंध में प्रमुख जानकारियां निम्नानुसार हैं –

उद्देश्य

(i) नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ii) व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों/ ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एकसाथ लाना और जहां तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(iii) देश के परंपरागत और संभावित अधिकतर कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।

(iv) कारीगरों की पारिश्रमिक-अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली ऋण राशि की मात्रा

इस योजनांतर्गत उद्यमी को नई इकाई की स्थापना या पूर्व में स्थापित इकाई के उन्नयन के लिए ऋण दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए अधिकतम ऋण राशि की मात्रा एवं उद्यमी के स्वयं के अंशदान तथा मिलने वाली सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है :-

नई इकाई की स्थापना के लिए ऋण राशि की मात्रा

(i) विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की परियोजना/ इकाई के लिए — **25 लाख रुपए**

(ii) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र की परियोजना/ इकाई के लिए — **10 लाख रुपए**

कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभार्थी का अंशदान एवं मिलने वाली सब्सिडी

योजनांतर्गत नई इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी का स्वयं का अंशदान निम्नानुसार होगा –

लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी की दर क्षेत्र (परियोजना/ इकाई की अवस्थिति)	
		शहरी	**ग्रामीण**
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि	05%	25%	35%

मौजूदा इकाई के उन्नयन के लिए ऋण राशि

(i) विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की परियोजना/इकाई के लिए — 1 करोड़ रुपए

(ii) सेवा/व्यापार क्षेत्र की परियोजना/ इकाई के लिए — 25 लाख रुपए

यदि उद्यमी की परियोजना की लागत इससे अधिक है तो लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपए होगी। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सब्सिडी 20 लाख रुपए होगी।

पूर्व में स्थापित इकाई के उन्नयन के लिए लाभार्थी का अंशदान व मिलने वाली सब्सिडी

लाभार्थियों की श्रेणी मौजूदा इकाइया के उन्नयन के लिए	लाभार्थी का अंशदान	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)
सभी श्रेणी	10%	15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों मे 20%)

लाभार्थी के लिए पात्रता की शर्तें

नई इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए

(i) 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति

(ii) प्रमंरोसृका के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) विनिर्माण क्षेत्र में रु.10 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

(iv) केवल प्रमंरोसृका के अंतर्गत संस्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।

(v) स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे के समूहों सहित, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो) भी प्रमंरोसृका के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

(vi) सोसायटी रजिस्ट्री अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं।

(vii) उत्पादन सहकारी समितियां।

(viii) धर्मार्थ न्यास।

(ix) वर्तमान इकाइयां (प्रमंरोयो, ग्रारोसृका या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत) तथा वे इकाइयां जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

नए प्रमंरोसृका (इकाइयों) के लिए पात्रता की अन्य शर्तें

(i) परियोजना लागत में पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होंगे।

(ii) इस योजना के अंतर्गत पूंजी–व्यय रहित परियोजनाएं, वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) रु. 5 लाख से अधिक लागत वाली जिन परियोजनाओं में कार्यशील पूंजी अपेक्षित नहीं हो, उनके मामले बैंक–शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और दावों को यथास्थिति, क्षेत्रीय कार्यालय या नियंत्रक कार्यालय के अनुमोदन की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(iv) जमीन की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

(v) बने–बनाए और पट्टे पर या किराये पर वर्कशेड/वर्कशॉप लेने की लागत को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, किंतु इस शर्त के अधीन कि परियोजना लागत में शामिल की जाने वाली, बने–बनाए और पट्टे या किराये पर वर्कशेड/ वर्कशॉप लेने की लागत की गणना अधिकतम केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए ही की जाएगी।

(vi) ग्रामोद्योगों की निषिद्ध सूची में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर ग्रामोद्योग परियोजनाओं सहित भी नए व्यवहार्य सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमंरोसृका लागू है।

(viii) वर्तमान/पुरानी इकाइयां पात्र नहीं हैं।

व्यापार गतिविधियां :

(a) पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित जिलों और अंडमान व

निकोबार द्वीपों में बिक्री आउटलेट के रूप में व्यापार /व्यापार गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

(b) पूरे देश में पीएमईजीपी के तहत स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों/ व्यापार प्रतिष्ठानों को केवल ऐसे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बेचने की अनुमति होगी जिन्हें के वीआई सी द्वारा प्रमाणित खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो और वे पीएमईजीपी / स्फूर्ति इकाइयों में विनिर्मित किए गए हों।

(c) विनिर्माण (प्रसंस्करण सहित)/सेवा सुविधाओं द्वारा समर्थित खुदरा दुकानों को (देश भर में) अनुमति दी जा सकती है।

(d) उपरोक्त (ए) और (बी) के अनुसार व्यवसाय/व्यापार गतिविधियों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 10 लाख रुपए (सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत के बराबर) हो सकती है।

(e) किसी राज्य में एक वर्ष में वित्तीय आबंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत, व्यवसाय/व्यापार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा ऊपर (ए), (बी) और (सी) में वर्णित है।

परिवहन गतिविधियां

परिवहन गतिविधियां जैसे : पर्यटकों या आम जनता के परिवहन के लिए कैब/वैन, नाव/मोटर बोट/शिकारा आदि की खरीद की अनुमति होगी। परिवहन गतिविधियों के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की सीमा पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक प्रभार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिलों, और अंडमान व निकोबार द्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, या किसी भी अन्य विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्र जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्रभारित की जाएगी।

नोट : (1) संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/ट्रस्ट जो विशेष रूप से पंजीकृत हैं, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला / शारीरिक विकलांग/पूर्व सैनिक, और अल्पसंख्यक संस्थान जिनकी नियमावली में इस हेतु आवश्यक प्रावधान सम्मिलित हो, विशेष श्रेणी के अंतर्गत मार्जिन मनी (सब्सिडी) हेतु पात्र होंगे। हालांकि, विशेष श्रेणियों से संबंधित संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/ ट्रस्ट यदि विशेष श्रेणी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तो वे सामान्य श्रेणी के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) हेतु पात्र होंगे।

(2) एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल हैं।

मौजूदा प्रमंरोसृका/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए पात्रता शर्त

(i) प्रमंरोसृका के अंतर्गत मार्जिन मनी के दावे को सफलतापूर्वक समायोजित किया गया हो।

(ii) प्रमंरोसृका/मुद्रा के अधीन प्रथम ऋण को नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक चुकता किया गया हो।

(iii) इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ जनित हो तथा तकनीकी के आधुनिकीकरण/ उन्नयन के साथ इसमें कारोबार और लाभ की संभावना मौजूद हो।

लाभार्थियों का चयन

— लाभार्थियों का चयन, जिला स्तर पर एक कार्य दल द्वारा किया जाएगा जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग/राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र और बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। कार्य दल के अध्यक्ष से संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/ कलेक्टर होंगे।

— इस प्रक्रिया में बैंकरों को आरंभ से ही शामिल करना होगा, ताकि आवेदन पत्रों के बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचा जा सके।

— जो आवेदक उद्यमिता विकास कार्यकम/ कौशल विकास कार्यक्रम/उद्यमिता–सह– कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कम–से–कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण या व्यवसायिक प्रशिक्षण (वीटी) प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ईडीपी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आवेदन पत्र सीधे बैंक को प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को डीएलटीएफसी द्वारा चयन में प्राथमिकता भी दी जाएगी।

— आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 2 (d) के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा "आपदा क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा/विपदा से ग्रसित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

— अधिक राशि की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए परियोजना लागत को बढ़ाकर दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

— आईबीए ने केवीआईसी के साथ परामर्श करके एक (स्कोर कार्ड) तैयार किया है जिसका उपयोग सदस्य बैंकों द्वारा प्रमंरोसृका मामलों के लिए किया जा रहा है। इसी स्कोर

बोर्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

बैंक वित्त

(i) लाभार्थी/संस्था के सामान्य श्रेणी का होने की स्थिति में, बैंक परियोजना लागत के 90 प्रतिशत और विशेष श्रेणी का होने की स्थिति में 95 प्रतिशत की दर से वित्तपोषण की मंजूरी देगा, और परियोजना की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रक्रिया से पूरी राशि संवितरित करेगा।

(ii) बैंक पूंजी व्यय के लिए मियादी ऋण के रूप में और कार्यशील पूंजी के लिए कैश क्रेडिट के रूप में वित्त उ प ल ब ध ा कराएगा। बैंक परियोजना का वित्त पोषण सम्मिश्र ऋण के रूप में भी कर सकता है, जिसमें पूंजी व्यय और कार्यशील पूंजी–व्यय भी शामिल होंगे।

(iii) प्रमंरोसृका के अधीन अधिकतम परियोजना लागत रु. 25 लाख है, जिसमें पूंजीगत व्ययों तथा कार्यशील पूंजी के सापेक्ष मियादी ऋण शामिल है। सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी घटक को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा कार्यशील पूंजी 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। तथापि विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम पूंजीगत व्यय रुपए 25 लाख तक शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में रुपए 25 लाख से अधिक की कार्यशील पूंजी को सब्सिडी के अधीन शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) यद्यपि बैंक परियोजना रिपोर्ट में पूंजी व्यय के अनुमानों और मंजूरी के आधार पर मार्जिन राशि (सब्सिडी) का दावा करेंगी किन्तु केवल वास्तविक उपयोग की गई राशि पर ही अनुमन्य मार्जिन राशि ही रखी जाएगी और परियोजना के उत्पादन के लिए तैयार हो जाने के तुरंत बाद यदि कोई अतिरिक्त राशि बची होगी, तो उसे आयोग को वापस किया जाएगा।

(1) कार्यशील पूंजी घटक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए की वह कैश क्रेडिट की 100 प्रतिशत सीमा को, मार्जिन राशि की तीन वर्ष की लॉक–इन अवधि में किसी समय प्राप्त कर ले और वह मंजूर सीमा के 75 प्रतिशत से कम न हो, यदि उपयोग पूर्वोक्त सीमा तक नहीं होता तो बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा मार्जिन राशि (सब्सिडी) की आनुपातिक राशि वसूल की जाएगी और उसे तीसरे वर्ष की समाप्ति पर खादी ग्रामोद्योग आयोग को वापस किया जाएगा।

ब्याज दर और पुनर्भुगतान

ब्याज सामान्य दर से प्रभारित किया जाएगा। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित आरंभिक स्थगन अवधि के बाद 3 से 7 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि हो सकती है।

ग्रामोद्योग

कॅयर–आधारित परियोजनाओं (निषिद्ध सूची में उल्लिखित को छोड़कर) सहित कोई भी उद्योग जिसमें बिजली का उपयोग करते हुए या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता हो या कोई सेवा देता हो और जिसमें प्रति पूर्णकालिक कारीगर या कामगार, अचल पूंजी–निवेश मैदानी क्षेत्रों में रु. 1.00 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में रु. 1.50 लाख से अधिक नहीं हो, जिसका अर्थ है वर्कशॉप/वर्कशेड, मशीनरी और फर्नीचर पर पूंजी व्यय में परियोजना से सृजित पूर्णकालिक रोजगार में भाग देने पर पर प्राप्त राशि।

ग्रामीण क्षेत्र

(i) राज्य/संघ–शासित क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम के रूप में वर्गीकृत कोई भी क्षेत्र चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो।

(ii) इसमें शहर के रूप में वर्गीकृत वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जहां की आबादी 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के अधीन आवेदन और निधियों के प्रवाह की ऑनलाइन प्रक्रिया पद्धति

(i) अखबारों, विज्ञापनों, रेडियो और अन्य मल्टी–मीडिया के माध्यम से, जिले को आबंटित लक्ष्य के आधार पर विभिन्न समयांतरालों पर खा.ग्रा. आयोग, खा.ग्रा. बोर्डों और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों द्वारा जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों से परियोजना–प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। योजना को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी प्रचारित–प्रसारित किया जाएगा, जो लाभार्थियों के चयन में भी सहयोग देंगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होंगे और दिनांक 01.05.2016 से किसी भी मैनुअल आवेदन की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी पोर्टल को विकसित किया गया और संचालित किया जा रहा है। पीएमईजीपी के तहत नए आवेदनों को केवल पीएमईजीपी–पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) व्यक्तियों और संस्थागत आवेदकों के लिए दो अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे, जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(iv) प्रारंभिक पंजीकरण (आवेदन दाखिल करते समय) के लिए आवेदकों को उनकी स्थिति को ट्रैक करने हेतु उपयोग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। आवेदक को अंतिम सबमिशन पर आवेदनआईडी प्रदान की जाएगी।

(1) आवेदक के आधार नंबर को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि आवेदन संस्था द्वारा किया जा रहा है तो ऐसे मामले में, अधिकृत व्यक्ति को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, व्यक्ति/उद्यम का पैन कार्ड या संस्था द्वारा परिचालित बैंक खाता संख्या दी जाए।

(vi) आवेदन जमा करने से पहले इसमें फोटो और दस्तावेज अपलोड करने का प्रवाधान होगा जो आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे।

ए. जाति प्रमाण पत्र।

बी. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र।

सी. ग्रामीण सेवा क्षेत्र का प्रमाण पत्र।

डी. परियोजना रिपोर्ट।

ई. शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

एफ. संस्थाओं के मामले में निम्नलिखित की स्वयं सत्यापित प्रतियां भी आवश्यक हैं :

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र
2. आवेदन करने हेतु प्राधिकार पत्र/मंत्री आदि को प्राधिकृत करने वाले बायलॉज की प्रति।
3. विशेष श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।

(vii) आवेदन पत्र भरने और पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदक सबमिट बटन पर क्लिक करेगा और अंत में आवेदन सबमिट हो जाएगा। दस्तावेजों और आवेदन पत्र का पूरा सेट को केवीआईसी के जिला प्रतिनिधि, राज्य केवीआईबी के जिला प्रतिनिधि और संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाएगा।

(viii) आवेदन प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी के जिला प्रतिनिधि और संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाएगा।

(ix) आवेदन प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी और डीआईसी के नोडल अधिकारी आवेदक के साथ स्वयं टेलीफोन पर बातचीत करेंगे या व्यक्तिगत बैठक करेंगे और प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन की प्राप्ति/स्वीकृति की पुष्टि करेंगे। नोडल अधिकारी आवेदक के साथ परामर्श/क्रॉस चेकिंग करके आवेदन में सभी आवश्यक सुधार करेंगे और हर चरण में आवेदक को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेंगे। वे ऋण की स्वीकृति के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुरूप ही आवेदन का मूल्यांकन करेंगे। आईबीए द्वारा विकसित स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) तथा सदस्य बैंकों द्वारा पीएमईजीपी हेतु इसके उपयोग के अनुसार लाभार्थी की अभिकरण स्तर तथा डीएलटीएफसी के स्तर पर चयन की जाएगी। ऐसे आवेदन जिन्हें 100 में से 60 अंक प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनके स्कोर कार्ड को कारणों के साथ भविष्य में सुधार के लिए आवेदक को भेजा जाएगा। केवल ऐसे आवेदन जिन्हें 60 या इससे अधिक स्कोर प्राप्त होंगे, को डीएलटीएफसी के माध्यम से बैंकों को प्रेषित किया जाएगा। ऐसे आवेदन जो योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं या आवेदक के साथ परामर्श के बाद भी अपूर्ण या अप्रासंगिक हैं उनको संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करते हुए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदक राज्य निदेशक, केवीआईसी के पास ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है।

आवेदनों की चयन प्रक्रिया

प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के लिए एक कार्यदल गठित किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे –

ए.	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर	अध्यक्ष
बी.	पीडी–डीआरडीए/ईओ–जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
सी.	अग्रणी जिला प्रबंधक	सदस्य
डी.	खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/ डीटीआईसी के प्रतिनिधि	सदस्य
ई.	नेहरू युवा केंद्र/अजा/अजजा निगम के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित

एफ.	सू.ल.म.उ.विकास संस्था/ आईटीआई, पॉलिटेक्निक का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित
जी.	पंचायतों के प्र निधि (जिनका नामांकन अध्यक्ष / जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/ कलेक्टर द्वारा बारी–बारी से किया जाएगा)	तीन सदस्य
एच.	आरसेटी/रुडसेटी के निदेशक	सदस्य
आई.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र	सदस्य संयोजक

जिला स्तरीय अभिकरण (केवीआईसी/केवीआईबी/ डीआईसी) प्रारम्भिक जांच के उपरांत अंतिम तौर पर सुधारे गए आवेदनों को डीएलटीएफसी के साथ–साथ आवेदक द्वारा चुने गए उन वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों को तथा अग्रणी बैंकों के प्रबंधकों (एलबीएम) को अग्रेषित करेंगे।

(3) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (डीटीआईसी) जिला स्तरीय कार्यबल समिति के संयोजक होंगे और वह अब तक प्राप्त सभी आवेदनों को डीएलटीएफसी के समक्ष रखेंगे। जिला स्तरीय कार्यबल समिति की हर महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी, यदि संभव हो तो हर महीने के पहले सोमवार, (या केवीआईसी के निदेशक, केवीआईबी और जिला उद्योग केंद्र प्रबंधक द्वारा आपसी परामर्श से निर्धारित की गई तारीखों पर और यदि आवश्यक हो तो उसी महीने के भीतर जिला स्तरीय कार्यबल समिति की एक और बैठक आयोजित की जा सकती है।) तय की गई बैठक की तारीखों को सभी जिलों के पीएमईजीपी वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यबल समिति की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे या उनकी अनुपस्थिति में ईओ/ पीडी, डीआरडीए या डिप्टी कलेक्टर करेंगे या उनकी अनुपस्थिति में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र करेंगे। परियोजना निदेशक–डीआरडीए जिला स्तरीय कार्यबल समिति के उपाध्यक्ष होंगे। समिति प्रत्येक आवेदन पर विचार करेगी और इसकी सिफारिश ऑनलाइन करेगी। डीएलटीएफसी का निर्णय बैठक के 3 कार्य दिवसों के भीतर जिला कार्यान्वयन एजेंसियों (केवीआईसी/ केवीआईबी/डीटीआईसी) को ऑन–लाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अर्थात केवीआईसी वेबसाइट/पीएमईजीपी पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। संबंधित एजेंसी डीएलटीएफसी के निर्णय की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर सिफारिश किए गए आवेदन संबंधित बैंकों को प्रेषित करेगी। इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर पूरा करना होगा। अधिमानत: जिला स्तरीय कार्यबल समिति द्वारा कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, आईबीए द्वारा विकसित स्कोरिंग मॉडल (कार्ड) ही लाभार्थी के चयन का आधार होगी। यद्यपि यदि आवश्यक माना जाए तो जिला स्तरीय कार्यबल समिति आवेदक को व्यक्तिगत बातचीत/साक्षात्कार के लिए बुला सकती है। यदि जिला स्तरीय कार्यबल 45 दिनों के भीतर स्वीकृति नहीं देती है तो बैंक स्वयं परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए।

(xi) एक ऑन–लाइन शिकायत पोर्टल और शिकायत प्रकोष्ठ होगा, जिसकी स्थापना केवीआईसी, मुख्यालय द्वारा की जाएगी। शिकायत प्रकोष्ठ 48 घंटे के भीतर ऑन–लाइन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा और संबंधित राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देगा। यदि आवेदक समिति की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध संबंधित राज्य के जीएम, डीआईसी या राज्य निदेशक, केवीआईसी के पास, जो भी वरिष्ठ हो, शिकायत दर्ज कर सकता है।

(xii) प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंक, ऋण के बारे में अपना निर्णय लेंगे। कार्य दल द्वारा पारित रु. 10 लाख तक के ऋण वाली परियोजनाओं के मामले में बैंक, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसरण में संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देंगे। तथापित, वे अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करने के बाद परियोजनाओं का मूल्यनिरूपण तकनीकी और आर्थिक – दोनों दृष्टियों से करेंगे :

i. उद्योग
ii. प्रति व्यक्ति निवेश
iii. अपना अंशदान
iv. ग्रामीण क्षेत्र (खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्ड/जिला उद्योग केंद्रों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मामले में), और
v. निषिद्ध सूची
vi. यह अनिवार्य है कि जिला कार्य दल द्वारा पारित आवेदन पत्र उसी स्तर पर इन अपेक्षाओं का पालन करें, ताकि बैंकों से ऋण का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब से बचा जा सके।

गतिविधियों की नकारात्मक सूची

सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए प्रमंरोसूका के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) मीट (वध करके तैयार किया हुआ) से जुड़े उद्योग/रोजगार अर्थात मीट प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी या मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसना। बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री ; कोई ऐसा होटल या ढाबा जहां शराब या मांसाहारी भोजन परोसा जाता हो ; कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग ; ताड़ी निकालना और बेचना।

(ख) चाय, कॉफी, रबर आदि जैसी फसलों/ बागानों की खेती से जुड़े कोई उद्योग /व्यापार ; रेशमपालन (ककून पालन) ; बागवानी ; फूलों की खेती। पीएमईजीपी के अधीन उक्त के मूल्यवर्धन की अनुमति नहीं होगी।

(ग) मत्स्यपालन, शूकरपालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यापार।

(घ) 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथिन की थैलियों का विनिर्माण और खाद्य पदार्थों को ले जाने, वितरण करने भंडारण हेतु पुन:चक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताएं, एकाउंटिंग जैसी विभिन्न प्रबंधकीय और कार्यपूरक कुशलताओं की जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 5 दिनों की होगी जहां परियोजना की लागत रुपए 10 लाख तक है, तथा रुपए 10 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए ईडीपी प्रशिक्षण 10 दिनों का होगा। विभिन्न बैठकों, चर्चाओं और उद्योग पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरपीएससीआई) की अनुशंसाओं में इस निविष्टि पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है, और यह महसूस किया गया कि 3 दिनों का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, अत: दो से तीन सप्ताह का प्रशिक्षण प्रमंरोसृका के अधीन प्रदान किया जाएगा जिसमें सफल ग्रामीण उद्यमियों और बैंकों के साथ परस्पर संवाद के साथ-साथ उनका दौरा भी शामिल है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन खाग्रा आयोग, खाग्रा बोर्डों के प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ केंद्र सरकार/राज्य सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों अर्थात एनआई ई एसबीयू डी, एनआईएमएसएमई और आईआईई तथा सूलमउ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाले उनके सहभागी संस्थानों, बैंकों, ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों (रूडसेटी), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समय-समय पर चुने गए संगठनों/ संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। प्रमंरोसृका के सभी लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। तथापि, जो लाभार्थी खाग्रा आयोग/खाग्रा बोर्डों या प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण ले चुके होंगे, उन्हें इस प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों/ संस्थानों का चयन खाग्रा आयोग और खाग्रा बोर्डों द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षण केंद्रो/ संस्थानों, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु, अवधि आदि का विवरण कार्यान्वयी अभिकरणों में परिचालित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

विपणन सहायता

जहां तक संभव होगा, खादी ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के उत्पादों को विपणन सहायता दी जाएगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास, गुणवत्ता, कीमत निर्धारण और अन्य मानदंडों के आधार पर, जिन्हें खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों को आयोग द्वारा अलग से परिपत्रित किया जाएगा, ऐसी सहायता देने का अधिकार सुरक्षित होगा। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों के फायदे के लिए जिला/राज्य, अंचल/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं का आयोजन और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता

निर्यात बाजार विकसित करने की दृष्टि से ऐसी परिकल्पना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता करेंगी। खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के समन्वय से खादी ग्रामोद्योग आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता का आयोजन करेगा और खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों से इच्छुक इकाइयों की सूची मंगवाएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के माध्यम से स्थापित इच्छुक इकाइयों पर उत्पादों के उत्कृष्टता, विविधता और गुणवत्ता के आधार पर न्यायपूर्ण विचार किया जाए। पैवेलियन के किराए, स्टाल लगाने और उत्पादों को प्रदर्शित करने आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रु. 20 लाख तक की जाएगी।

मध्य प्रदेश

एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021

परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए इंजन माना जाता है और यह तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजक है। जैसा कि हम जानते हैं, आज देश में सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक रोजगार सृजन है। यह तथ्य एमएसएमई क्षेत्र के विकास को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है। मध्यप्रदेश सरकार इस पहलू को स्वीकार करती है और तदनुसार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम जोर दिया जा रहा है।

रोजगार सृजन और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को जानते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, राज्य ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक समर्पित विभाग एमएसएमई के लिए बनाया गया है।

एमएसएमई विभाग राज्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी स्थापना के बाद से एमएसएमई विभाग विभिन्न पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है। एमएसएमई विभाग राज्य में एमएसएमई की स्थापना और विकास के लिए एक सहायक और उद्योग मित्र माहौल के निर्माण हेतु बहुआयामी पहल करने हेतु प्रतिबद्ध है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने नीतिगत पहल से कई कदम उठाए हैं। व्यापार करने की आसानी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। स्टार्ट अप और इन्क्यूबेटरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपनी इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति लागू की है।

मध्य प्रदेश सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करके उद्यमियों/स्वरोजगार हितग्राहियों को सहयोग प्रदान कर रही है। एमएसएमई विभाग, रोजगार सृजन और संवर्धन के लिए विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं चला रहा है, जिसके तहत ब्याज अनुदान एवं पूंजी निवेश पर मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्या है?

01 जुलाई 2020 से एमएसएमई का नवीन वर्गीकरण लागू हो गया है। संयंत्र एवं मशीनरी/उपस्कर में पूंजी निवेश एवं वार्षिक कारोबार की अधिकतम सीमा के आधार पर उद्यम को वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	उद्यम का प्रकार	वर्गीकरण के मानदंड
1.	सूक्ष्म	जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है।
2.	लघु	जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पचास करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है।
3.	मध्यम	जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है।

विभाग भारत सरकार द्वारा की गई पहल के लिए प्रतिबद्ध है और यह विश्वास दिलाता है कि वह राज्य में एक जीवंत एमएसएमई के विकास की प्रक्रिया में सहभागी है। इस प्रतिबद्धता के साथ, विभाग ने एक समर्पित म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति का संपर्क राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के केंद्रित विकास की ओर जाने वाले समस्त पहलुओं से है। नीति का मसौदा उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों, विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी विभागों सहित सभी हितधारकों की राय एवं सुझावों को लेने के बाद परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।

2. एमएसएमई विकास नीति के उद्देश्य

मध्य प्रदेश की एमएसएमई विकास नीति 2021 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

(i) समग्र औद्योगिक विकास और एमएसएमई प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना।

(ii) आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना।

(iii) एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और एमएसएमई के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

(iv) रोजगार सृजन के माध्यम से युवा उद्यमियों को अवसर प्रदान करना।

3. नीति केन्द्रित क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह नीति निम्नलिखित छः स्तंभों पर आधारित है :-

(i) अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा : व्यवसाय करने में आसानी।

(ii) पात्र एमएसएमई इकाईयों को रियायतें जारी करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार।

(iii) निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव।

(iv)) पीपीपी मॉडल पर अधोसंरचना का विकास।

(v) ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रक्रियात्मक सहायता।

(vi) समयबद्ध सेवाओं और सहायताओं का प्रदाय।

4. नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र

4.1 यह नीति अधिसूचना की दिनांक से लागू होगी।

4.2 यह नीति नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक जारी रहेगी।

4.3 नीति की अधिसूचना दिनांक या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। दिनांक 01.07.2020 या उसके पश्चात परंतु इस नीति की अधिसूचना की दिनांक से पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली ऐसी विनिर्माण एमएसएमई, जिसने यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक का निवेश किया हो, पहले की संबंधित नीतियों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी इकाईयां इस नीति के तहत सहायता/सुविधा हेतु पात्र नहीं होंगी।

इस नीति के लागू होने के पश्चात नवीन विनिर्माण इकाईयां, जो नीति की अधिसूचना की दिनांक या उसके पश्चात उत्पादन प्रारंभ करेंगी, के लिए पूर्व प्रोत्साहन योजनाओं अंतर्गत सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा। परंतु नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की विद्यमान एमएसएमई को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त पात्र निवेश पर नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी, यदि ऐसे निवेश के पश्चात इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी में ही रहती हो।

5. अनुकूल माहौल हेतु रूपरेखा : व्यवसाय करने में आसानी

5.1 व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाकर व्यावसायिक माहौल में सुधार करना

राज्य में एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने विनियामक सुधारों को जारी रखने और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर मध्य प्रदेश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में व्यापार करने के लिए एमएसएमई को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल करना जारी रखेगी। राज्य में एमएसएमई के लिए व्यावसायिक माहौल सुधारने हेतु एमएसएमई विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) विभागीय रियायतें अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(ii) एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि के आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

(iii) सरकारी विभागों के एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के आधार को बढ़ाने और एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं से खरीद प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए नए भण्डार क्रय नियम बनाए जा रहे हैं।

(iv) एमएसएमई हेतु विभिन्न लायसेंसों को नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।

5.2 एमएसएमई बिजनेस फैसिलिटेशन सेल

एमएसएमई को सहूलियत/सहयोग प्रदान करने हेतु उद्योग आयुक्त के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है। एमएसएमई को हैण्ड होल्डिंग सहायता प्रदान करने हेतु इस सेल के माध्यम से सहायक सलाहकारों को राज्य भर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में पदस्थ किया गया है।

5.3 शिकायतों के समाधान के लिए संस्थागत उपाय

राज्य की एमएसएमई को उनके भुगतान के मुद्दों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए म.प्र. सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश एमएसई फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया है, जो अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ कार्यरत है।

5.4 जिला स्तरीय सहायता समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को रियायतें प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति उत्तरदायी होगी :-

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	अग्रणी जिला प्रबंधक	सदस्य
3.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय सहायता समिति को बहुमंजिला औद्योगिक परिसर तथा न्यूनतम 5 एकड़ एवं 10 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

5.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को रियायतें (औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयत्र (ETP) की स्थापना के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर) स्वीकृत करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति अधिकृत होगी।

राज्य स्तरीय साधिकार समिति को 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

5.6 परीक्षण हेतु आंतरिक समिति

राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा पात्रता निर्धारण (सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान सीमा) पश्चात इकाई को सहायता का प्रदाय उद्योग संचालनालय, म.प्र. की आंतरिक समिति की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त म.प्र. द्वारा किया जाएगा। यह समिति वित्तीय सहायता के उचित वितरण को दृष्टिगत रखेगी। समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

1. संयुक्त/उप संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ
2. संयुक्त/उप संचालक, वित्त
3. उप/सहायक संचालक, एमएसएमई प्रकोष्ठ
4. उप/सहायक संचालक, अधोसंरचना विकास प्रकोष्ठ
5. सहायक संचालक, वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ

उद्योग आयुक्त म.प्र. को प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा।

6. रियायतों का लाभ उठाने के लिए सामान्य प्रावधान

6.1 **परिशिष्ट - 1** में उल्लेखित अपात्र उद्योगों को सूची में आने वाली इकाईयों हेतु रियायतें उपलब्ध नहीं होंगी।

6.2 मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाली इकाईयों को एमएसएमई विकास नीति 2019 के अंतर्गत प्रावधानित शर्तों तथा प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली इकाईयों को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित, 2020) अंतर्गत प्रावधानित शतों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6.3 इस नीति में प्रावधानित सहायताएं/सुविधाएं प्रदान करने हेतु म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 जारी की जाएगी, जिसमें प्रक्रिया, पात्रता की शर्तों, अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों, कुल अनुदान की सीमा, लाभान्वित इकाई के लिए नियम एवं शर्तों आदि विस्तृत विवरण होगा। उक्त योजना इस नीति का भाग होगी।

6.4 यंत्र एवं संयंत्र में रुपए 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक पूंजी निवेश वाली ऐसी स्थापित इकाईयां जिन्हें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित, 2020) तथा नीति अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए लागू मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (संशोधन सहित) अंतर्गत राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक पात्रता अनुसार सुविधाएं स्वीकृत की जा चुकी हों, उन्हें पूर्वानुसार निर्धारित समयावधि हेतु सुविधाओं का लाभ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

7. रियायतें

7.1.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाई हेतु निम्नानुसार उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा :-

7.1.1.1 नई औद्योगिक इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किए गए पात्र निवेश का 40 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।

7.1.1.2 रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत की 100 प्रतिशत तक सीमित होगी।

7.1.1.3 महिला/अजा/अजजा/उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिए प्रति वर्ष 2 प्रतिशत (चार वर्षों हेतु) या अजा/अजजा श्रेणी की महिला उद्यमी(यों) द्वारा स्थापित इकाई के लिए प्रति वर्ष 2.5 प्रतिशत (चार वर्षों हेतु) का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान और

7.1.1.4 औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 25 प्रतिशत से अधिक एवं अधिकतम 50 प्रतिशत तक निर्यात करने के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु) :

या

औद्योगिक इकाईयों को कुल वार्षिक विक्रय का 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात करने के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान (चार वर्षों हेतु)।

7.1.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक निवेश करने वाली नई औद्योगिक इकाई हेतु निम्नानुसार उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा :-

7.1.2.1 यह अनुदान 7 समान वार्षिक किश्तों में वितरित किया जाएगा। सहायता का निर्धारण निम्नानुसार पांच चरणों में किया जाएगा –

7.1.2.1.1 **वार्षिक सहायता** = वार्षिक मूल सहायता 3 सकल आपूर्ति मूल्य गणक x वार्षिक रोजगार गणक x वार्षिक निर्यात गणक x भौगोलिक गणक

7.1.2.1.2 मूल (Basic) सहायता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

मूल (Basic) – सहायता

IF(PM&B >1500,150, MIN (IF (PM & B<11,0.4*PM&B, MIN (4+0.098*(PM&B-10) + PM&B/(10.88)* MAX(1-PM&B/ 1490,0)+ 7.2*(1-PM&B/1500), 0.4*PM&B))150)

7.1.2.1.3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मूल सहायता = 1.5X cross (कंडिका 7.1.2.1.2 के आधार पर गणित राशि)।

7.1.2.1.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल सहायता राशि की अधिकतम सीमा किसी भी परिस्थिति में सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए रु. 150 करोड़ ही होगी। अर्थात यदि कंडिका 7.1.2.1.2 तथा 7.1.2.1.3 की गणना का परिणाम रुपए 150 करोड़ से अधिक आता है तो भी मूल सहायता रुपए 150 करोड़ देय योग्य होगी।

7.1.2.2 वार्षिक मूल सहायता = मूल सहायता/7

यदि इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितंबर के पूर्व का है, तो उसी वर्ष को प्रथम वर्ष मान्य किया जाएगा किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितंबर के पश्चात का हो, तो इकाई को उसे प्रथम वर्ष मानने अथवा आगामी वर्ष को प्रथम वर्ष मानने का विकल्प उपलब्ध होगा।

7.1.2.3 सकल आपूर्ति मूल्य पर आधारित गणक –

सकल आपूर्ति मूल्य गणक = न्यूनतम (75 प्रतिशत वास्तविक सकल आपूर्ति/पूर्व वर्ष या वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति)/75 प्रतिशत

Gross Supply Value Multiple (GSM) = MIN (75%, AGS/PPYS) / 75%

Peak Previous Year Gross Supply (PPYS)

Actual Gross Supply in the Reviewed Year (AGS)

7.1.2.3.1 अधिकतम सकल आपूर्ति गणक "v" होगा।

7.1.2.3.2 प्रथम वर्ष हेतु अधिकतम सकल आपूर्ति गणक "v" होगा बशर्ते स्थापित क्षमता का कम से कम 40 प्रतिशत उपयोग किया गया हो। स्थापित क्षमता का उत्पादन 40 प्रतिशत

से कम होने पर सकल आपूर्ति गणक समानुपातिक रूप से "v" से कम रहेगा एवं तदनुसार सहायता की गणना की जाएगी।

7.1.2.3.3 आगामी वर्षों में सकल आपूर्ति राशि को पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होने पर गणक "v" मान्य किया जाएगा। सकल आपूर्ति राशि में 75 प्रतिशत से कमी होने पर अनुपातिक रूप से निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि में कमी की जाएगी।

7.1.2.3.4 विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में मूल एवं विस्तारित इकाई की कुल उत्पादन क्षमता को स्थापित क्षमता मानते हुए उक्त के आधार पर सकल आपूर्ति मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।

7.1.2.4 निर्यात आधारित गणक –

7.1.2.4.1 निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1.0 से लेकर अधिकतम 1.2 गुना तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।

निर्यात गणक = यदि [निर्यात उत्पादन मूल्य <25%,1, यदि 6 निर्यात उत्पादन मूल्य <75%,1+0.2* (निर्यात मूल्य /उत्पादन मूल्य – 25%)/50%, 1.2}]

Export Multiple (EM) = IF [Export Value/ Production Value<25%,1, IF {Export Value/ Production Value<75%, 1+0.2* (Export Value/ Production Value - 25%)/50%,1.2}]

निर्यात मूल्य = निर्यात का मूल्य रुपए करोड़ में

उत्पादन मूल्य = उत्पादन का मूल्य रुपए करोड़ में

7.1.2..4.2 यदि निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 प्रतिशत से कम होता है तो निर्यात गणक च्ाज्ञ होगा। निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 25 से 75 प्रतिशत तक होने पर निर्यात गणक का विस्तार "v" से "v.w" होगा। निर्यात मूल्य, उत्पादन मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक होने पर भी निर्यात गणक "v.w" ही रहेगा।

7.1.2..5 रोजगार आधारित गणक –

7.1.2.5.1 इकाई में 100 से 2500 के बीच रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में सहायता को 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा।

रोजगार गणक = अधिकतम [1, न्यूनतम {1.5,(1+ (औसत रोजगार – 100)* ((1.5-1)/(2500-100))}]

Employment Multiple (EYM) = MAX [1,MIN{1.5,(1+(AE-100)*((1.5-1)/(2500-100))}]

समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी = समीक्षा वर्ष में इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

समीक्षा वर्ष में औसत कर्मचारी का उत्पत्ति सूत्र = Σ (वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के लिए माह अंत में कर्मचारी की संख्या)/12

7.1.2.5.2 100 कर्मचारियों की संख्या तक रोजगार गणक "1" होगा। 100 से 2500 कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक में अनुपातिक रूप में "1" से "1.5" तक वृद्धि होगी। 2500 एवं अधिक कर्मचारियों की दशा में रोजगार गणक की अधिकतम सीमा "1.5" होगी।

7.1.2.5.3 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अंतर्गत रोजगार आधारित गणक को किसी भी स्थिति में "1" ही मान्य करते हुए सहायता की गणना की जाएगी।

7.1.2.6 भौगोलिक गणक

प्रदेश में स्थित जिलों के अंतर्गत आने वाले प्राथमिकता विकास खंड में स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को भौगोलिक गणक 'v.w' तक अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा एवं जिले में स्थित अन्य विकास खंडों में गणक 1 मान्य किया जाएगा।

7.2 गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता

7.2.1 संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रुपए तक का निवेश करने वाली इकाई द्वारा आईएसओ/बीआयएस/बीईई प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 100 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

7.2.2 जेड (ZED) प्रमाणन, एमएसएमई की ब्रांड पहचान में सुधार लाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयों को क्रमश: 80 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष राशि की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयों के लिए कुल लागत का क्रमश: 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत)।

7.2.3 नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान केवल निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि ऐसा प्रमाणन राज्य की विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई को यूएसए/यूरोपियन यूनियन/ह्श्वष्टश्वष्ठ के

अन्य सदस्य देशों में निर्यात करने हेतु पात्र बनाएं।

7.2.4 हालांकि, ऐसी पात्र एमएसएमई, जिन्होंने इस नीति की प्रारंभ तिथि से पहले उत्पादन शुरू किया है, लेकिन इस नीति की प्रभावशील अवधि में उक्त कण्डिकाओं 7.2.1, 7.2.2 एवं 7.2.3 में उल्लेखित गुणवत्ता प्रमाणनों में से, जो भी गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करेंगी वे उस गुणवत्ता प्रमाणन हेतु संबंधित कण्डिका अनुसार सहायता प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

7.2.5 कंडिका 7.2.2 एवं 7.2.3 में उल्लेखित सदस्यता हेतु संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली इकाईयां ही पात्र होंगी।

7.3 पेटेण्ट के लिए प्रतिपूर्ति

एमएसएमई इकाईयों को नीति की प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण कराने हेतु किए गए व्यय की 100 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति।

7.4 अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

7.4.1 निजी या अविकसित शासकीय भूमि में स्थापित नई औद्योगिक इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का और अधिकतम 10 करोड़ रुपए का निवेश हो को उसके परिसर तक अधोसंरचना विकास में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपए की सहायता। संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अधोसंरचना विकास यथा सड़क, बिजली एवं पानी के लिए प्रत्येक हेतु अधिकतम एक करोड़ रुपए की सीमा तक, 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी।

7.4.2 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिए किए गए व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम 25 लाख रुपए की सहायता और संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली मध्यम श्रेणी की एमएसएमई इकाई को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रुपए की सहायता।

7.4.3 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए (प्रति इकाई) तक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के समूह (कम से कम 5) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिए किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रुपए की सहायता।

7.4.4 निजी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के विकासकर्ता को विकास में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 250 लाख रुपए की सहायता, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ हो एवं 10 एकड़ से कम हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट हो और 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र/क्लस्टर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 5 करोड़ तक सहायता विकासक को उपलबध कराई जाएगी। इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना आवश्यक होगा।

7.5 ऊर्जा लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वित्तीय सहायता

संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपए और ऑडिट में सुझाए गए उपकरण एवं मशीनरी को अपनाने के लिए हुए व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.6 विशेष पैकेज

7.6.1 राज्य सरकार पॉवरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए **परिशिष्ट – II** अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेगी।

7.6.2 राज्य सरकार फार्मास्युटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए **परिशिष्ट – III** अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेगी।

7.6.3 राज्य सरकार परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए **परिशिष्ट – IV** अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेगी।

7.6.4 राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए **परिशिष्ट – V** अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेगी।

7.6.5 राज्य सरकार टेक्सटाईल को बढ़ावा देने के लिए **परिशिष्ट – VI** अनुसार विशेष पैकेज प्रदान करेगी।

8. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन

8.1 स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन करने पर उन्हें उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त पात्र निवेश पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.2 स्थापित सूक्ष्म स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा न्यूनतम 40 लाख रुपए या अधिक का अतिरिक्त पात्र निवेश करने पर उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.3 स्थापित लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र में 100 लाख रुपए या अधिक का निवेश करने पर, उसे नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/ सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.4 स्थापित मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व यंत्र एवं संयंत्र में किए गए निवेश का 30 प्रतिशत अथवा 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, को नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

8.5 यदि विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के फलस्वरूप कोई इकाई पात्र एमएसएमई श्रेणी की नहीं रहती है, तो वह इकाई इस नीति के अंतर्गत सहायता/ सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होगी।

9. बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव

बेहतर सुविधाओं के साथ औद्योगिक अधोसंरचना का विकास निश्चित रूप से एमएसएमई विकास को बढ़ावा देगा। एमएसएमई विभाग द्वारा इस नीति के अनुक्रम में नवीन औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम लाए जाएंगे, जिसमें :

9.1 एमएसएमई इकाईयों के लिए समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों/संस्थानों का भविष्य में विकास करने हेतु शासकीय भूमि के लैण्ड बैंक में विभाग द्वारा वृद्धि की जाएगी।

9.2 ऐसे जिलों, जहां एमएसएमई विकास के पर्याप्त अवसर हों, में राज्य शासन द्वारा समर्पित एमएसएमई पार्कों की स्थापना की जाएगी।

परिशिष्ट - I

अपात्र उद्योगों की सूची

1. व्यापार और सेवाओं से संबंधित गतिविधियां
2. बीयर और शराब, जिसमें एल्कोहल है
3. सभी प्रकार के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण
4. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5. समस्त प्रकार के पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण
6. केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाईयां
7. स्टोन क्रशर
8. खनिजों की पिसाई, केल्सिनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)
9. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/ चूककर्ता
10. सभी प्रकार की खनन गतिविधियों (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
11. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का निर्माण
12. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्सपैलर इकाईयां, जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु.1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)
13. समस्त प्रकार के तेलों की रिफायनरी
14. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयां
15. सभी प्रकार के प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रिया
16. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग
17. लोहे/स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना
18. विद्युत उत्पादक इकाईयां
19. पैकेज पीने का पानी
20. सॉर्टेक्स प्लांट और फसलों/अनाज की सॉर्टिंग/ग्रेडिंग/ सफाई
21. समस्त प्रकार के गैसयुक्त (Aerated)/ कार्बोनेटेड पेय
22. बूचड़खाना और मांस पर आधारित उद्योग
23. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में स्थापित इकाईयां
24. म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग

9.3 विभाग निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा।

9.4 पीपीपी मोड में औद्योगिक क्षेत्र में बहुमंजिला परिसर के

निर्माण पर विशेष ध्यान और जोर दिया जाएगा।

9.5 भूमि हेतु ऑनलाइन आवेदन और आवंटन प्रणाली को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा।

9.6 राज्य शासन द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन हेतु नए नियम लाए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाली इकाईयों के लिए विभागीय औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे।

10. क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

10.1 क्लस्टर विकास

10.1.1 राज्य शासन ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है और साथ-साथ उन कारकों को भी जो राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं।

10.1.2 राज्य भर में फैले हुए एमएसएमई क्लस्टरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधोसंरचना (ID) एवं सार्वजनिक सुविधा केंद्र (CFC) का निर्माण करने हेतु राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से स्वयं की क्लस्टर विकास योजना बनाई जाएगी।

10.1.3 राज्य और भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना को सही तरीके से लागू करने हेतु एक समर्पित क्लस्टर विकास सेल बनाया जाएगा। यह सेल राज्य के एमएसएमई क्लस्टरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

10.1.4 म.प्र. लघु उद्योग निगम राज्य में क्लस्टर गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी होगा।

10.2 स्वरोजगार

10.2.1 युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एमएसएमई विभाग वर्तमान में विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं चला रहा है, जो युवा उद्यमियों को रियायतें एवं हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करती हैं।

10.2.2 युवा उद्यमियों को अधिक प्रभावी हेण्ड-होल्डिंग समर्थन और बेहतर प्रोत्साहन के साथ एक नई स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी।

10.2.3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु स्वरोजगार योजनाओं के लाभान्वितों को अवसर प्रदान किया जाएगा।

10.2.4 ऑनलाइन ईडीपी मॉड्यूल के माध्यम से युवाओं के व्यावसायिक कौशल में सुधार किया जाएगा।

10.2.5 जिला स्तर पर पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंटों के माध्यम से नाममात्र शुल्क पर स्वरोजगार योजनाओं के आवेदकों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी।

10.2.6 अजा/अजजा वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं में अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

10.3 स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन

राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप वातावरण को परिपोषण करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई म.प्र. स्टार्टअप नीति लाई जाएगी।

परिशिष्ट - II

पॉवरलूम सेक्टर के लिए विशेष पैकेज

1. प्लेन/सेमी ऑटोमेटिक शटल पॉवरलूम को आधुनिक शटललेस लूम में उन्नयन करने के लिए किए गए व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता (यदि कोई हो, तो) के समायोजन के पश्चात शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, अधिकतम 10 पॉवरलूम प्रति इकाई पर राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।
2. विद्युत प्रदाय में 20 एचपी तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से और 20 एचपी से अधिक परंतु 150 एचपी तक की क्षमता के पॉवरलूम को 1.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से रियायत। साथ ही विद्युत प्रदाय में 150 एचपी तक की क्षमता के पॉवरलूम को फिक्स चार्जेस और न्यूनतम प्रभार व वास्तविक खपत के अंतर की राशि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
3. पॉवरलूम के लिए औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किए गए व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम 500 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति।
4. उक्त बिंदु 1 एवं 2 में उल्लेखित सहायता संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली इकाईयों को ही प्राप्त होगी।
5. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएं (जो समान प्रकार की न हों) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।

11. बीमार इकाईयों का पुनर्जीवन

यदि कोई बीमार/बंद इकाई इस नीति की प्रभावशील अवधि में पुनर्जीवित होती है, तो ऐसी इकाईयों को सहायता/सुविधा प्रदान की जाएगी।

11.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता :-

परिशिष्ट - III

फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए विशेष पैकेज

1. उद्योग विकास अनुदान रियायत की गणना के प्रयोजन के लिए भवन की लागत, संयंत्र और मशीनरी की लागत की 200 प्रतिशत तक सीमित होगी।
2. निर्यात के लिए तैयारी हेतु डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यू.एस.एफ.डी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सुविधाओं का सृजन करने में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. फार्मास्यूटिकल लैब की मशीनरी व उपकरण की स्थापना में किए गए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. उक्त बिंदु 1,2, एवं 3 में उल्लेखित सहायता संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली इकाईयों को ही प्राप्त होगी।
5. फार्मास्यूटिकल इकाईयों के लिए औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किए गए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम 500 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति।
6. संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली फार्मास्यूटिकल एमएसएमई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से प्रथम 2 वर्ष को स्लेक पीरियड के रूप में मान्य किया जाएगा। इस प्रावधान में सहायता की अवधि यथावत 7 वर्ष शर्तों के अध्याधीन होगी।
7. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएं (जो समान प्रकार की न हों) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेंगी।

11.1.1 व्यवहार्य बीमार/बंद इकाई के पुनर्जीवन के लिए बैंकरों/वित्तीय संस्थानों की सहायता के लिए पैकेज बनाया जाएगा।

11.1.2 पुनर्जीवन पैकेज तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी बैंकरों/वित्तीय संस्थानों की होगी।

11.1.3 बैंकरों/वित्तीय संस्थानों के परामर्श से बीमार इकाई द्वारा रियायतों का पैकेज प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बनाया जाएगा और साधिकार समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

11.1.4 बीमार औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में पुनर्जीवन पैकेज पर निर्णय लेने के लिए एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

(i) प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई विभाग **(अध्यक्ष)**।

(ii) जिस विभाग से बीमार इकाई हेतु रियायत/राहत चाही गई है, उस विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव **(सदस्य)**।

(iii) उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग **(सदस्य)**।

(iv) संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक **(सदस्य)**।

(v) उस बैंक/वित्तीय संस्था के शाखा प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी, जिसके माध्यम से पुनर्जीवन पैकेज प्रस्तावित हो **(सदस्य)**।

(vi) संयुक्त/उप संचालक, एमएसएमई विभाग **(सदस्य सचिव)**।

11.1.5 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पुनर्जीवन योग्य बीमार इकाईयों के लिए पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जाएगा। इस पुनर्वास पैकेज में बीमार इकाईयों के द्वारा राज्य शासन से सुविधाओं की मांग की जा सकेगी।

11.1.6 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बीमार इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु तैयार किए गए पुनर्जीवन पैकेज में राज्य शासन से चाही जा रही सुविधाओं की मांग साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा साधिकार समिति के द्वारा गुण-दोष के आधार पर बीमार इकाई के पक्ष में विभागीय सुविधाओं अथवा अन्य विभाग की सुविधाएं, संबंधित विभाग की सहमति होने पर स्वीकृत की जा सकेगी।

11.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपए एवं अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली इकाईयों हेतु सहायता :-

11.2.1 प्रबंधन में परिवर्तन के बाद बंद इकाई को पुन: आरंभ

परिशिष्ट - IV परिधान क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

1. नवीन रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपए का एवं अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो और न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारी हों, के प्रत्येक नियमित कर्मचारी, जो मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी है, के वेतन का 25 प्रतिशत, अधिकतम 2500 रुपए प्रति माह, कुल 5 लाख रुपए की वार्षिक सीमा तक, 5 वर्ष तक वेतन अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
2. नवीन रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स का निर्माण करने वाली एमएसएमई इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया हो, को निम्नानुसार सहायता/सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी :-

2.1 **ब्याज अनुदान** :- भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUFs) अंतर्गत मान्य मशीनरी पर वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिए गए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों के लिए।

2.2 **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** :- टेक्सटाइल परियोजनाओं को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रु. 13000 पांच वर्षों के लिए दी जाएगी। यह सहायता केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।

2.3 **रोजगार सृजन अनुदान** :- नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम आठ वर्ष की समयावधि में नियुक्त किए गए समस्त नवीन कर्मचारियों को रु. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी :-

क्र.	समयावधि	परियोजना में उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1.	1 वर्ष के अंदर	50 प्रतिशत
2.	3 वर्ष के अंदर	75 प्रतिशत
3.	5 वर्ष के अंदर	90 प्रतिशत

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध कराई जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

2.4 **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** :- ऐसी इकाईयां जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के पट्टे पर भूमि लेती है, उन्हें पट्टे की भूमि पर प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.5 **विद्युत शुल्क पर छूट** :- सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 7 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क से छूट।

2.6 **विद्युत टैरिफ में रियायत** :- नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु 5 रुपए प्रति युनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।

2.7 मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 अंतर्गत प्रावधान अनुसार भूमि के प्रीमियम पर प्रभावी छूट के अतिरिक्त गारमेंटिंग इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र में पट्टे पर भूमि लेने की दशा में इकाईयों पर प्रभारित विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

2.8 उक्त बिंदुओं 2.1 से 2.7 तक, में उल्लेखित सुविधाएं केवल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/ क्लस्टर में स्थापित इकाईयों को ही प्राप्त होगी।

3. परिधान क्षेत्र की इकाईयों के लिए औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/ क्लस्टर के विकासकर्ता को विकास में किए गए व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम 500 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति।
4. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएं (जो समान प्रकार की न हों) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेंगी।

करने पर पिछली स्वीकृत सहायता निरंतर जारी रखने का लाभ प्रदान किया जाएगा, यदि इकाई में उत्पादन 1 वर्ष से अधिक समय तक बंद था। इकाई को उतनी ही अतिरिक्त अवधि के लिए सहायता निरंतर प्रदान की जाएगी, जितनी अवधि में उत्पादन बंद था।

11.2.2 इकाई के बंद होने की तिथि तक, विभागों/संस्थानों को देय बकाया राशि पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा, अगर बकाया अधिग्रहण से 3 महीने के भीतर एकमुश्त चुकाया जाएगा, अन्यथा इस तरह के बकाया को 6 अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

11.2.3 राज्य स्तरीय साधिकार समिति उक्त कण्डिकाओं 11.2.1 एवं 11.2.2 में उल्लेखित सुविधाएं स्वीकृत करने हेतु सक्षम होगी। बकाए की राशि पर ब्याज माफी के निर्णय हेतु आयोजित समिति की बैठक में संबंधित विभाग/संस्थान जिसका बकाया देय हो, के प्रतिनिधि को अनिवार्यत: आमंत्रित किया जाएगा।

11.3 इस नीति में परिभाषित अपात्र उद्योग उक्त कण्डिका 11.1 एवं 11.2 में प्रावधानित सुविधाओं/प्रोत्साहनों के लिए पात्र नहीं होंगे।

11.4 यदि संयंत्र और मशीनरी में नवीन निवेश इस नीति की कण्डिका 8 के अनुसार है, तो इस नीति के तहत पात्रतानुसार सुविधाएं इकाई को नई इकाई के रूप में प्रदान की जाएगी।

12. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

नीति के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय –

12.1 इस नीति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

12.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

12.3 नीति के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन जारी कर सकेगा।

13. न्यायालय क्षेत्र

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा।

14. शब्दावली

(i) नीति से सामान्य अभिप्रेत है, "म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021।। "

(ii) एमएसएमई से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम

परिशिष्ट - V

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए विशेष पैकेज

नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10.00 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50.00 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो, को निम्नानुसार सहायता/सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी :-

1. **विद्युत खपत सहायता :-** प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रुपए 1 प्रति युनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए उत्पादन/व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगी। ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकॉर्ड की गई डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी।

2. **मण्डी शुल्क से छूट**

2.1 ऐसी सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।

2.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी।

3. **फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता**

3.1 **अधोसंरचना विकास सहायता :-** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापित की गई योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपए 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टॉप-अप के रूप में देय होगी।

3.2 **स्टांप ड्यूटी की सहायता :-** मेगा फूड पार्क स्थापना के लिए प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किए गए स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएं (जो समान प्रकार की न हों) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेंगी।

परिशिष्ट - VI

टेक्सटाईल इकाईयों के लिए विशेष पैकेज

नवीन टेक्सटाईल इकाई (विनिर्माण श्रेणी की एमएसएमई, जिसमें यंत्र-संयंत्र) में 10.00 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50.00 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो) को संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUF) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से निम्नानुसार ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा :-

क्र.	इकाई का प्रकार	ब्याज अनुदान
1.	रु. 25 करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए	5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से रु. 5 करोड़ की सीमा तक।
2.	रु. 25 करोड़ से अधिक के स्थाई पूंजी निवेश वाली नवीन इकाई के लिए या विद्यमान स्वतंत्र इकाई जिसके द्वारा विस्तार/ शवलीकरण हेतु अमेण्डेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में विद्यमान स्थाई पूंजी निवेश का कम से कम 30 प्रतिशत (जो रु. 25 करोड़ से कम नहीं हो) या रु. 50 करोड़, जो भी कम हो नवीन निवेश किया हो	5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से
3.	नवीन कम्पोजिट इकाई * जिसके द्वारा रु. 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो या विद्यमान स्वतंत्र इकाई के शवलीकरण से निर्मित कम्पोजिट इकाई	5 वर्ष के लिए 7 प्रतिशत की दर से

किसी इकाई को बिना उसके कार्यस्थल के दृष्टिगत (कार्यस्थल मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एक ही स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हो सकता है) कम्पोजिट इकाई अंतर्गत श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित में से कोई एक गतिविधि करनी होगी और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के इनपुट के रूप में प्राथमिक उत्पाद (जैसे यार्न) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा :

- धागे और प्रसंस्करण गतिविधियों का उपयोग करते हुए कपड़ा बनाना (वीविंग/निटिंग और प्रसंस्करण गतिविधियां)
- कपड़ा प्रसंस्करण और विनिर्माण (प्रसंस्करण और तैयार वस्त्र)
- धागा विनिर्माण - धागे का उपयोग करते हुए परिधान (Apparel) विनिर्माण, कपड़ों का उपयोग करते हुए प्रसंस्करण और परिधान विनिर्माण (स्पिनिंग-वीविंग/ नीटिंग-प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग)
- मेड-अप आर्टिकल्स

इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएं (जो समान प्रकार की न हों) पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।

उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

(iii) इकाई/औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

(iv) संयंत्र और मशीनरी में निवेश से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, जिसको म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया हो) के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश।

(v) भवन में निवेश से अभिप्रेत है, उत्पादन में उपयोग में आने वाली फैक्टरी भवन व शेड, लेकिन इसमें आवासीय इकाईयां शामिल नहीं होंगी।

(vi) नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, इस नीति की

प्रभावशील अवधि के दौरान स्थापित विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई।

(vii) विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें नीति की अधिसूचना दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

(viii) महिला/अजा/अजजा/ उद्यमी(ओं) द्वारा संचालित इकाई से अभिप्रेत है, महिला/अजा/अजजा/ वर्ग के व्यक्ति(यों) के शत–प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई।

(ix) वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत है, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक।

(x) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत है, गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय ISO प्रमाण पत्र या BIS/BEE प्रमाणन या ZED प्रमाणन या निर्यात के लिए विशिष्ट प्रमाणन।

(xi) पेटेंट से अभिप्रेत है, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय–समय पर किए गए संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट।

(xii) उद्योग संचालनालय से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन संचालनालय।

(xiii) राज्य सरकार/शासन से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।

(xiv) जिला व्यापार और उद्योग केंद्र से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन एमएसएमई संचालनालय का जिला स्तरीय कार्यालय।

(xv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से अभिप्रेत है कृषि/उद्यानिकी उत्पादों को प्रसंस्करण (यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग करते हुए) करने उपरांत तैयार ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद जिनका भौतिक स्वरूप पूर्व से भिन्न होते हुए उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता भी हो तथा उनका खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, जैसे – खाने के लिए तैयार (Ready to Eat) अथवा पकाने के लिए तैयार (Ready to Cook) खाद्य पदार्थ, खाद्य एडिटिव्हस, प्रिजर्वेटिव, रंग एवं सुगंध तथा दुग्ध आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद।

(xvi) रेडीमेड गारमेंट एवं मेडअप्स से अभिप्रेत है, पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य कपड़े, सिले कपड़े, जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई, मशीनरी का उपयोग कर की गई है।

(xvii) क्लस्टर से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन

(xvii) क्लस्टर से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम, 2021 के परिशिष्ट – डी के बिंदु 2 (17) अनुसार परिभाषित विकासक।

(xviii) विकासक से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम एवं प्रबंधन नियम, 2021 के परिशिष्ट – डी के बिंदु 2 (19) अनुसार परिभाषित विकासक।

(xix) प्राथमिकता विकासखण्ड से अभिप्रेत है प्रदेश के ऐसे विकास खण्ड जहां कोई ऐसी औद्योगिक इकाई स्थापित न हो, जिसमें यंत्र एवं संयंत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ हो। इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार ही प्राथमिकता विकासखण्ड मान्य होंगे।

(xx) टेक्सटाईल परियोजना से अभिप्रेत निम्न औद्योगिक इकाईयों से है :–

1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग
3. वूल स्कोरिंग, कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग
4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग
5. स्पिनिंग
6. विस्कोज स्टेपल फाइबर (व्ही.एस.एफ.) एवं विस्कॉज फिलामेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय.)
7. व्हीविंग, निटिंग एवं फैब्रिक कसीदाकारी
8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन वूवेन सहित
9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियो/मेड–अप विनिर्माण
10. फाइबर, यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड–अप का प्रसंस्करण
11. जूट उद्योग

"एक जिला-एक उत्पाद" योजना को गंभीरता से लें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल, सोमवार, जनवरी 10, 2022। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उद्यानिकी विभाग "एक जिला–एक उत्पाद" योजना को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी से जुड़े किसानों को चिन्हित उत्पाद की खेती के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उद्यानिकी, खाद्य प्र–संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

- उद्यानिकी से जुड़े किसानों को दिलवाएं प्रशिक्षण - नर्सरियों को डिमांड ड्रिविन बनाएं - मसाला फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों को दें बढ़ावा - मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की समीक्षा की.

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्सरियों को डिमांड ड्रिविन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन पौधों की माँग होती है, नर्सरियों में ऐसे पौधों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। विभाग द्वारा बताया गया कि उद्यानिकी नर्सरियों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा रहा है। इस योजना में स्व–सहायता समूह के माध्यम से 137 उद्यानिकी नर्सरी स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया और अन्य मसाला फसलों के उत्पादन में प्रदेश का देश में अग्रणी स्थान है। मसाला फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों को बढ़ावा देना चाहिए। मसाला फसलों की प्र–संस्करण इकाइयाँ भी लगाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यानिकी फसलों को संरक्षित रखने के लिये कोल्ड–स्टोरेज लगाने पर भी जोर दिया। साथ ही उद्यानिकी किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती से जोड़ने की बात भी कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यानिकी विभाग द्वारा बुंदेलखण्ड के किसानों को पान की खेती से जोड़ने के कार्यक्रम की सराहना भी की। विभाग द्वारा एक हजार किसानों को पान की खेती से जोड़ा जा रहा है।

बताया गया कि 20 आदर्श विकास खण्डों में शत–प्रतिशत गिरदावरी की जाएगी। गिरदावरी से उत्पादन, खपत और बचत का आकलन करना संभव होगा। इससे भण्डारण क्षमता का निर्माण और प्र–संस्करण इकाइयां स्थापित करने में सुगमता होगी।

अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया ने वर्चुअली शामिल होकर उद्यानिकी विभाग के आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप में सम्मिलित कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर ढंग से करने के लिए विभाग द्वारा 179 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही ग्वालियर में 20 हेक्टेयर भूमि पर अटल फ्लोरीकल्चर गार्डन की स्थापना की जा रही है।

सेडमैप

समाचार

देवास जिले में

खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों पर

दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारम्भ

देवास 06 जनवरी 2022। देवास जिले के स्थानीय उद्यमी/युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगो पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ होटल रामाश्रय देवास में हुआ। दो दिवसीय कार्यशाला में स्थानीय उद्यमी/युवाओं को विषय विशेषज्ञों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला में प्रथम दिन लगभग 160 स्थानीय उद्यमी/ युवा शामिल हुए। कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर देवास विधायक **श्रीमती गायत्री राजे पवार,** कलेक्टर **श्री चन्द्रमौली शुक्ला,** उप संचालक कृषि **श्री आर.पी. कनेरिया,** उद्यानिकी अधिकारी देवास **श्री पंकज शर्मा,** परियोजना समन्वयक उद्यमिता विकास केन्द्र **श्री दिनेश खरे** सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्थानीय उद्यमी/युवाओं को विषय विशेषज्ञो ने दी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की जानकारी

कार्यशाला में देवास विधायक **श्रीमती गायत्री राजे पवार** ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने से अधिक लाभ मिलेगा। जिले में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने से जिले के किसानों की आय बढ़ेगी। जिले के युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों पर इस प्रकार की कार्यशाला समय-समय पर आयोजित होती रहनी चाहिए। जिससे युवाओं को उद्योग संबंधित जानकारी मिलेगी और जिले में उद्योग लगने से रोजगार का सृजन होगा।

जिले में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की असीम सम्भावना – कलेक्टर श्री शुक्ला

कलेक्टर **श्री चन्द्रमौली शुक्ला** ने कहा कि जिले में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की असीम सम्भावना है। जिले के उद्यमी/युवाओं के लिए इस तरह की कार्यशाला होने से फसल आधारित उद्योगो के संबंध जानकारी मिलेगी। इससे उद्यमी/युवा छोटे-छोटे उद्योग लगाकर लाभ उठा सकते हैं। युवा अलग-अलग तरीके की फसल लगाकर फसल से संबंधित उद्योग भी लगा सकते हैं।

परियोजना समन्वयक उद्यमिता विकास केन्द्र **श्री दिनेश खरे** ने बताया कि प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग/व्यवसाय, स्वरोजगार स्थापना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना साथ ही उद्योग स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान करना है। कार्यशाला में स्थानीय उद्यमी/युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग/व्यवसाय आवश्यक मशीनरी-उपकरण, कच्चा माल एवं पूंजी की जानकारी, राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग नीति और लाईसेंस प्रक्रिया पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनकारी योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी गई।

खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने से जिले के किसानों की आय बढ़ेगी - विधायक श्रीमती पवार

विज्ञान मेले में सेडमैप के फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूबेशन सेंटर का

भोपाल । राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में 07 जनवरी 2022 को आयोजित 9 वें भोपाल विज्ञान मेले में सेडमैप की कार्यकारी संचालक श्रीमती अनुराधा सिंघई जी के मार्गदर्शन में सेडमैप फूड प्रोसेसिंग इन्क्यूवेशन सेंटर को प्रदर्शित करता हुआ स्टॉल लगाया गया। चित्र उसी अवसर के। बड़ी संख्या में विजिटर्स ने उस स्टॉल का अवलोकन किया।

पीएमईजीपी के तहत 352 लाख के 27 नवीन उद्यम स्थापित होंगे

भिण्ड। उद्यमिता विकास केन्द्र मप्र (सेडमैप)द्वारा आयोजित एवं राज्य कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भोपाल द्वारा प्रायोजित 10 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के परिसर में 10 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 27 नव उद्यमियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग आयोग भोपाल के **श्री सुन्दकर पाल** एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भिण्ड के महाप्रबंधक, **सतीश चन्द्रव रूसिया** एवं अतिथिगण खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंधक **श्री जमाहर** के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। सुन्दकर पाल द्वारा पीएमईजीपी पोर्टल के संबंध में एवं योजना के बारे में जानकारी दी गई एवं महाप्रबंधक **श्री एससी रूसिया** द्वारा सभी हितग्राहियों को औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी प्रदान की गई, जिसमें विभिन्न बैंकों के माध्यम से 352 लाख के नवीन उद्यम स्थापपित होंगे जिसमें 27 हितग्राही प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे साथ ही लगभग 167 स्थानीय अन्य लोगों का रोजगार सृजन होगा। प्रबंधक श्री जमाहर द्वारा खादी ग्रामोद्योग की विंध्या वैली के संबंध में जानकारी दी गई। सेडमैप जिला समन्वयक **अश्विनी शर्मा** द्वारा बताया गया कि सेडमैप द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंकिंग प्रक्रिया, जीएसटी, श्रम विभाग की योजनाएं सफल उद्यमी कैसे बनें,

प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सम्प्रेषण कला कौशल, लेखा बही संधारण, उद्योग स्थापना पंजीयन आदि की जानकारी प्रदान की गई कार्यक्रम में सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त सेडमैप के जिला समन्वयक **श्री अश्विनी शर्मा** द्वारा किया गया।

होशंगाबाद में पीएमईजीपी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

उद्यमिता विकास केंद्र मप्र (सेडमैप) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 10 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन 20 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक होशंगाबाद में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सहयोग से किया गया। यह कार्यक्रम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भोपाल द्वारा प्रायोजित किया गया। कार्यक्रम मे 15 प्रशिक्षणार्थियों ने अपना पंजीयन करा कर सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा उद्यमिता एवं स्वरोजगार, उद्यमी के गुण, सम्प्रेषण कला, उपलब्धि अभिप्रेरणा, बाजार सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बाजार प्रबंधन, लेखा, गुड्स एवं सर्विस टैक्स के साथ-साथ हितग्राहियों को विभिन्न औद्योगिक इकाई का विजिट कराया गया।

कार्यक्रम का समापन 30 दिसंबर 2021 को **श्री कैलाश माल,** महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, होशंगाबाद के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशेष अतिथि के रूप मे **श्री रमेश हिले** – जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, होशंगाबाद, **श्री राजीव खन्ना** – सहायक निदेशक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भोपाल, **श्री राजेश साहा** – प्रबंधक हस्तशिल्प, होशंगाबाद एवं **श्री टीटो वर्मा** – प्रभारी अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, होशंगाबाद उपस्थित रहे। समापन अवसर पर जिला अग्रणी बैंक अधिकारी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को समय पर ऋण वापस करने के फायदे बताए। **राजीव खन्ना जी** ने प्रशिक्षणार्थियों से कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की एवं उन्होंने पीएमईजीपी से सम्बंधित जानकारी प्रदान की। महाप्रबंधक महोदय ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को जल्द से जल्द प्रमाण पत्र बैंकों मे जमा करने एवं ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण करने को कहा एवं अपने उद्योग स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक चलाने हेतु मार्गदशन प्रदान किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने प्रशिक्षणार्थियों को नए उद्यम स्थापित करने पर शुभकामनाएं प्रदान कीं एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार **श्री पंकज कुमार** जिला समन्वयक द्वारा किया गया।

छतरपुर में युवाओं को पीएमईजीपी का लाभ उठाने हेतु दिया गया मार्गदर्शन

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत छतरपुर जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे परियोजना स्थापित करने हेतु जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शासकीय आईटीआई, छतरपुर, मप्र में 24 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय जागरूकता शिविर में लगभग 100 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने स्वरोजगार स्थापित करने हेतु योजना के बारे मे विस्तृत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग भोपाल से **श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव,** सहायक निदेशक द्वारा पीएमईजीपी योजना में पोर्टल पर आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। **श्री विवेक द्विवेदी** – सहायक प्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छतरपुर एवं **श्रीमती प्रतिमा मिश्रा** – प्रभारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा योजना में आवश्यक दस्तावेजों की भूमिका के बारे में समझाया गया। **श्री कल्याण सिंह यादव** – सदस्य जिला पंचायत छतरपुर ने उपस्थित सभी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए जिले के युवाओं के लिए किए गए इस आयोजन की सराहना की गई।

श्री डीके करोसिया जी प्राचार्य – आईटीआई छतरपुर एवं **श्रीमती कीर्ती गुप्ता** – प्रशिक्षण अधिकारी आईटीआई, छतरपुर ने कहा कि जिले के होनहार युवाओं को कौशल के बाद स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन पूरा सहयोग व हर सम्भव प्रयास कर रहा है। **श्री एम. के. श्रीवास** – जिला समन्वयक सेडमैप ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरणादायक उद्बोधन से उद्यमिता के बारे में व सफल उद्यम स्थापित करने की बारीकियां बताईं। **श्री एसके जैन** – जिला रोजगार अधिकारी, छतरपुर ने युवाओं को बताया कि स्वरोजगार, रोजगार से बेहतर अवसर है तथा इसके माध्यम से युवा नौकरी

करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सफल उद्यमियों डॉ. शारस्वत द्विवेदी, राहुल देव चौरसिया, धर्मेन्द कुमार खरे द्वारा अपनी सफलता के अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना में सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तथा विनिर्माण उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख तक की परियोजना लगाने पर 15 से लेकर 35 प्रतिशत तक भारत सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जो इकाई को 3 साल तक सफलतापूर्वक संचालित करने पर उनके खाते मे समायोजित की जाती है। सायंकाल सभी उद्यमियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

छतरपुर में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न

छतरपुर के सेडमैप जिला प्रशिक्षण केन्द्र मे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 12 नवउद्यमियों ने उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेडमैप जिला समन्वयक **श्री एम. के. श्रीवास** ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का आयोजन सेडमेप जिला प्रशिक्षण केन्द्र बेनीगंज, महल रोड, छतरपुर में 02 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर .2021 तक आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने युवाओ को व्यापार के प्रबन्ध तथा उद्यमिता विकास की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का समापन 18 दिसंबर

21 को किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के **प्रो. जेपी शक्यजिल,** अग्रणी बैक प्रबन्धक **श्रीमती सुधा श्रीवास्तव,** महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सेडमैप जिला समन्वयक **श्री एम. के. श्रीवास** ने युवाओं का उत्साहवर्धन कर मोटीवेशन व मार्गदर्शन किया तथा प्रमाण पत्र वितरित किए।

रीवा में हाथकरघा विभाग के सहयोग से सेडमैप बना रहा महिलाओं को स्वावलंबी

रीवा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु हाथकरघा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सहायक संचालक कार्यालय, जिला पंचायत रीवा द्वारा प्रायोजित कौशल एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम का आयोजन सेडमैप रीवा द्वारा 15 नवंबर 2021 से प्रारम्भ किया गया। सेडमैप जिला कार्यक्रम समन्वयक **श्री हरिओम सोनी** ने बताया की उक्त 72 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रीवा जिले की 10 अनुसूचित जाति महिलाओ को टेलरिंग एक्सपर्ट एवं प्रोफेशनल प्रशिक्षिका **सुश्री नूरी खान** द्वारा सिलाई कढ़ाई कला कौशल सिखाया जा रहा है तथा यह प्रशिक्षण 15 फरवरी 2022 तक सम्पन्न होगा। प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने हेतु इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को शासन की विभिन्न ऋण अनुदान योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ विक्रय कला कौशल की जानकारी प्रदान

की जा रही है। प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को प्रतिमाह 2400 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।

दमोह के सेडमैप प्रशिक्षण केंद्र का विद्यार्थियों ने किया भ्रमण

दमोह स्थित शासकीय उत्कृष्टता विद्यालय एवं एमएलबी स्कूल के विद्यार्थियों ने सेडमैप के दमोह प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण किया तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी से अवगत हुए।

दमोह में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) के दमोह स्थित प्रशिक्षण केंद्र में छः माह का ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम एक जुलाई से संचालित किया जा रहा है। शुल्क आधारित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

दमोह में ईडीपी आयोजित

सेडमैप के दमोह प्रशिक्षण केंद्र में पीएमईजीपी के तहत ईडीपी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विगत 13 दिसंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 तक आयोजित इस कार्यक्रम में 15 प्रतिभागियों ने भाग लेकर विभिन्न विषय विशेषज्ञों से उद्यमिता का कौशल सीखा।

माइसेम के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

माइसेम हिडलबर्ग सीमेंट फैक्टरी से सीएसआर के तहत प्राप्त सहायता से दमोह

में विगत 16 नवंबर से तीन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, इसमें कुल 120 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जबलपुर में पीएमईजीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जबलपुर जिले में 30 नवंबर 2021 से 09 दिसंबर 2021 तक पी.एम.ई.जी.पी. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया

गया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 प्रशिक्षणार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 15 दिसंबर 2021 को के.व्ही.आई.सी. भोपाल से आए **श्री अनिल तिलवानी** जी की उपस्थिति में किया गया और प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

अपना उद्योग स्थापित करने के लिए केव्हीआईसी संपर्क करें

Your Eco Friendly Partner

KHADI PRODUCTS

खादी ग्रामोद्योग भवन
टी.टी. नगर, भोपाल
जवाहर चौक, भोपाल

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
बी/3, बी-4, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.) फोन 0755-2583668
वेवसाईट : www.pmegp.in, www.kvic.org.in, ई-मेल kvicbhopal@gmail.com

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री
उद्यम क्रांति योजना

मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोज़गार के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण और ब्याज अनुदान सहायता

किन परियोजनाओं के लिए

- रुपये 1 लाख से 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए।
- रुपये 1 लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए।

किसे मिलेगी सहायता

- प्रदेश के 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के युवा।
- शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम 12वीं पास।
- परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।

कितनी मिलेगी सहायता

- वितरित किए जाने वाले ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरीयम अवधि सहित)।
- ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरीयम अवधि सहित)।

D19521/21

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश

msmedeptmp @minmpmsme